


SARVA SHIKSHA ABHIYAN

सर्व शिक्षा अभियान
(S.S.A)

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

 सर्व शिक्षा अभियान -
सब पढ़ें सब बढ़ें

जनपद गौतमबुद्धनगर

विषयानुक्रमणी

क्रमांक अध्याय का नाम

पृष्ठ संख्या

1. जनपद की पृष्ठभूमि
2. शैक्षिक – परिदृश्य
3. नियोजन –प्रक्रिया
4. सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य
5. समस्याएं एवं रणनीतियां
6. शिक्षा की पहुंच का विस्तार—1
(नवीन विद्यालय)
7. शिक्षा की पहुंच का विस्तार –2
(ई0 जी0 एस0 ए0 आई0 ई0)
8. ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम
9. प्राथमिक शिक्षा में गुणत्मक अन्नयन
10. परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण
11. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2002–2007

अध्याय -- 1

जनपद की पृष्ठभूमि

नव सृजित जनपद गौतमबुद्ध नगर का सृजन का 6 मई 97 को जनपद गाजियाबाद व बुलन्दशहर के हिस्सों को सम्मिलित कर किया गया है।

भौगोलिक स्थिति :

जनपद गौतमबुद्ध नगर में गाजियाबाद व बुलन्दशहर जनपद के कुछ अंश सम्मिलित किये गये हैं। जनपद गाजियाबाद से बिसरख व दादरी विकास खण्ड तथा जनपद बुलन्दशहर से दनकौर व जेवर तथा सिकन्द्राबाद से 18 गाँव, जिन्हे अब दनकौर जेवर में सम्मिलित किया जा चुका है, शामिल किये गये हैं जनपद के उत्तर में जनपद गाजियाबाद व दिल्ली प्रदेश दक्षिण में जनपद अलीगढ़, पूर्व में जनपद बुलन्दशहर तथा पश्चिम में हरियाणा प्रदेश से जनपद की सीमायें लगी हुईं।

जनपद का अधिकांश भाग हिडन व यमुना नदी के खादर में होने के कारण यहाँ की भूमि का किस्म बालुई है जेवर तथा दनकौर विकास खण्ड का अधिकांश भाग समतल है।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :

जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि भी काफी अधिक समृद्ध है। दनकौर नामक स्थान पांडवों व कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य की जन्म स्थली है। यही रहकर द्रोणाचार्य ने शास्त्र/शस्त्र विद्या का उर्पाजन किया था। बिसरख नामक स्थान को महाराज रावण के पिता महर्षि विश्रवा का आश्रम माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जनपद भूतकाल में ऋषि मुनियों की स्थली रहा है।

प्रशासनिक स्वरूप :

जनपद गौतमबुद्ध नगर में तीन तहसीले दादरी, जेवर व गौतमबुद्ध नगर (सदर), तथा दादरी, बिसरख, जेवर, दनकौर चार विकास खण्ड है। जनपद में 43 न्याय पंचायत हैं। जनपद में 417 राजस्व ग्राम तथा 07 नगर क्षेत्र है। जनपद में कुल आबाद ग्राम/बस्तियां है तथा 16 बस्तियां गैर आबाद है।

सारणी -1.1

<u>ग्रामीण क्षेत्र</u>	
1. तहील	3
2. विकास खण्ड	4
3. न्याय पंचायत	43
4. ग्राम सभायें	278
5. राजस्व ग्राम	417
6. बस्तियों की संख्या	442
<u>नगरीय क्षेत्र</u>	
7. नगर	-----
8. नगर महापालिका	-----
9. नगर पालिका	1
10. टाउन एरिया	6

जनपद की मुख्य फसल:

जनपद की मुख्य फसल गेहूँ धान तथा गन्ना है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में ज्वार व बाजरा भी बोया जाता है।

सिंचाई :

जनपद की एक मात्र नहर माट ब्रांच है जो जनपद के बहुत थोड़े हिस्से को सिंचित करती है ये क्षेत्र जेवर विकास खण्ड आते हैं। शेष भाग में सिंचाई का साधन नलकूप है।

विद्युत एवम शक्ति का स्रोत:-

नौएडा क्षेत्र के कुछ भाग को नौएडा पावर कार्पोरेशन तथा शेष भाग को उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है। राज्य विद्युत परिषद तथा नौएडा पावर कार्पोरेशन को विद्युत की आपूर्ति एन0टी0पी0सी0 की आपूर्ति दादरी द्वारा की जाती है। नौएडा व ग्रेटर नौएडा में विद्युत आपूर्ति का स्तर अच्छा है शेष भाग में भी औसतन 6 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जाती है।

यातायात के साधन :

जनपद के नौएडा व ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में सड़को का जाल बिछा हुआ है। इसके अधिकांश क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की सेवायें संचालित हैं। शेष क्षेत्रों में निजी परिवहन सेवायें संचालित हैं। नौएडा व ग्रेटर नौएडा क्षेत्र की सड़को का स्तर उच्च कोटि का है परन्तु जेवर व दनकौर तथा दादरी के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़को के रख रखाव की स्थिति ठीक न हो के कारण अधिकांश सड़के जर्जर अवस्था में हैं।

बैंकिंग व्यवस्था :

जनपद का ली बैंक सिडिकेट बैंक है। यहाँ पर लगभग सभी राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय बैंको की शाखायें कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद जिला सहकारी बैंक व बुलन्दशहर जिला सहकारी बैंक की शाखायें भी कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराती हैं। डाक व्यवस्था हेतु जनपद में डाक घर स्थापित है।

जनसंख्या :

2001 की गनगणना के आधार पर जनपद की जनसंख्या निम्न प्रकार है।

सारणी -1.2

कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
1191263	646554	544709

स्रोत - जनगणना 2001

जनपद की कुल न्याय पंचायतों की संख्या 43 है। जनपद स्तर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी है। विकास कार्यों की देख रेख हेतु जनपद में मुख्य विकास अधिकारी व जिला विकास अधिकारी एवं विकास खण्ड स्तर पर खंड विकास अधिकारी है।

हमारे देश की राजधानी दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण जनपद का औद्योगिक विकास बड़े ही तीव्र गति से हो रहा है। नौएडज़ प्राधिकरण व ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के औद्योगिक विकास बड़े ही तीव्र गति से हो रहा है। नौएडा प्राधिकरण व ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों में कई बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने अपने उद्योग स्थापित किये गये हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं देबू मोटर्स, हॉण्डा सिएल, बी0 पी0 एल0 जी0, आदि। औद्योगिक प्रगति के कारण जनपद की जनसंख्या दर में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।

भूमि का उपयोग :

विकास खण्ड बिसरख की समस्त भूमि व दनकौर तथा दादरी विकास खण्डों की आंशिक भूमि नौएडा व ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है शेष भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जा रहा है।

कुल क्षेत्रफल :

जनपद का कुल क्षेत्रफल 1456 वर्ग कीमी है जिसमें से 894.95 वर्ग मीटर कि० मी० का क्षेत्र बुलन्दशहर व 561.05 वर्ग कि० मी० गाजियाबाद जनपद से सम्मिलित किया गया है।

सारणी -1.3

गाजियाबाद	बुलन्दशहर	कुल योग
561.05	894.95	1456.00

अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या (1999)

सारणी-1.4

कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
254958	158212	96746

साक्षरता की स्थिति :

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनपद की साक्षरता विकास दर की स्थिति निम्न प्रकार है।

सारणी-1.5

	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	महिला
संख्या	679,784	437201	2,42,585
साक्षरता प्रतिशत	69.78	82.56	54.56
स्रोत : जनगणना :- 2001			

जनपद के तीव्र औद्योगिक के कारण तहों एक और जनसाधारण में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो रही, वही दूसरी और मजदूर वर्ग के बढ़ने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जनपद के दरस्त विकास खण्डों जेवर व दनकौर में शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता न होने से दानों ही विकास खण्डों में साक्षरता की बृद्धि कम है नौएडा व ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में मजदूर बस्तियों / झुग्गी झोपड़ीयों में बृद्धि के कारण इस क्षेत्र में भी शिक्षण संख्याओं के विस्तार की आवश्यकता हो रही है। जनपद में चल रहे, जिला प्राथमिक कार्यक्रम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है।

अध्याय-2

शैक्षिक पृष्ठ भूमि

जनपद में -अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0-तृतीय) चल रहा है। जिसके मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की पहुच का विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता मे वृद्धि एवं शाला त्याग (ड्रॉप आउट रेट) को कम करना है। बालिका शिक्षा का प्रतिशत अभी जनपद में निम्न स्तर का है। जिसे बढ़ाने हेतु डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विशेष प्रयास किये जा रहे है।

जनपद का शैक्षित परिदृश्य-

वर्तमान समय में जनपद में 469 परिषदीय प्राथमिक स्कूल, 150 ई0 जी0 एस0 / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र 151 परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूल 275 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय 78 मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, 2 राजकीय इन्टर कालेज, 92 हाई स्कूल एवं 5 डिग्री कालेज संचालित है। इसके अतिरिक्त जनपद में कई संस्थाएँ व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा रही हैं। शैक्षिक संस्थाओं का विवरण तालिका 2.1 में निम्नवत है-

तालिका 2.1

शैक्षिक संस्थाएँ

क्र.सं०		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त						गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय	
		ग्रामीण 1	नगरीय 2	योग 3	ग्रामीण 4	नगरीय 5	योग 6	ग्रामीण 7	नगरीय 8	योग 9	ग्रामीण 10	नगरीय 11
1	प्राथमिक विद्यालय	469		469	256	—	256	725		725		
2	माध्यमिक वि० से सम्बन्ध प्राइमरी अनुभाग											
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	151		151	78		78	229		229		
4	माध्यमिक वि० से सम्बन्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	92		92				92		92		
5	केन्द्रीय विद्यालय	01		01				01		01		
6	नगरिय विद्यालय	01		01				01		01		
7	सी०बी०एस०ई० विद्यालय	30		30				30		30		
8	डिग्री कालेज	04		04				04		04		
9	रनतकोत्तर महाविद्यालय	01		01				01		01		
10	विश्वविद्यालय	01		01				01		01		
11	तकनीकी संस्थान डी०आई०ई०टी० (आई०टी०आई०/पॉलीटेक्निक)	04		04				04		04		
12	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ	22		22				22		22		
13	आगम वाडी केन्द्रों की संख्या	323		323				323		323		
14	मकान/गदर संख्या	04		04				04		04		
15	संस्कृत पाठशालाएँ	03		03				03		03		
16	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएँ	02		02				02		02		
17	बाल श्रमिक विद्यालय	—		—				—		—		

साक्षरता की स्थिति

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनपद की साक्षरता विकास दर की स्थिति निम्न प्रकार है—

तालिका-2.2
जनपद की साक्षरता

	कुल साक्षर	पुरुष साक्षर	महिला साक्षर
संख्या	697,784	437201	242583
साक्षरता प्रतिशत दर	69.78	82.56	54.56

स्रोत : जनगणना - 2001

तालिका 2.3
हत्तसीलवार/नगर क्षेत्र वा साक्षरता

	पुरुष	महिला	योग
दादरी	87.09	55.76	72.80
सदर	81.95	45.82	65.39
लेवर विशेष	76.77	41.25	60.26
नोएडा (विशेष क्षेत्र)	85.56	70.23	78.68
नगरीय क्षेत्र (अन्य)	74.72	51.10	63.83

स्रोत - जनगणना - 2001

वर्तमान शैक्षिक स्थिति

जनपद में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित की जा रही है। इस कार्य में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत/सभा तथा विकास खण्ड स्तर की अन्य संस्थाएँ शिक्षा के प्रसार में सहयोग कर रही हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जनपद के सभी ग्रामों को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा से सेवित किया जा चुका है। मलिन बस्तियों की नोएडा क्षेत्र में अधिक है। निम्न तालिकाओं से स्थिति और भी स्पष्ट होती है।

तालिका 2.4

क्रम. सं०	विकास खण्ड	असेवित ग्राम/बस्तियों	मलिन बस्तियों की संख्या
1	विसरख	0	18
2	दादरी	0	04
3	दनकौर	0	07
4	जेवर	0	04
	योग	0	33

छात्र नामांकन

प्राथमिक स्तर:-

जनपद गौतमबुद्ध नगर में 6 से 11 आयु वर्ग के कुल 142609 बच्चे निहित किये गये हैं जिनमें 78914 बालक एवं 63695 बालिकाएं हैं जिनमें से 72599 बच्चों का प्रवेश परिषदीय विद्यालयों में, 51876 बच्चों का प्रवेश मान्यता प्राप्त विद्यालयों में तथा 16928 बच्चों का प्रवेश अमान्य विद्यालयों में हुआ है। अभी तक कुल 1246 बच्चे (506 बालक एवं 740 बालिकाएं) विद्यालय से बाहर है जिनके शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य सर्वशिक्षा अभियान में रखा गया है। जनपद का एन. ई. आर. 99.1 प्रतिशत

छात्र नामांकन

तालिका 2.7

प्राथमिक स्तर

वर्ष	6-11 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त अनुमोदित			कुल नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2000-2001	73142	59036	132178	37291	31699	68990	13147	7479	20629	20704	18105	38809	71142	57283	128425
2001-2002	75047	60550	135597	33014	31264	64278	26412	22801	49213	14253	4814	19067	73679	58879	132558
2003-2004	76941	62102	139043	36666	35299	71965	26510	21105	47615	12563	4308	16871	75739	60712	136451
2004-2005	78914	63695	142609	37038	35561	72599	28980	22896	51876	12390	4538	16928	78408	62955	141363

	नामांकन अनुपात		योग
	बालक	बालिका	
2003-2004	99.4	98.8	99.1
2000-2001	97.3	97.0	97.1
2001-2002	98.2	97.2	97.8
2002-2003	98.4	97.8	98.1

उच्च प्राथमिक स्तर :-

जनपद में 11 से 14 आयु वर्ग के कुल 77433 बच्चे निहित किये गये हैं जिनमें 43261 बालक एवं 34172 बालिकाएं हैं। इनमें से 5661 बच्चों का परिषदीय विद्यालयों में, 70910 बच्चों का प्रवेश मान्याता प्राप्त विद्यालयों में तथा अमान्य विद्यालयों में है एवं 862 बच्चे जिनमें से 528 बालिकाएं एवं 334 बालक हैं वह स्कूल के बाहर । जिनका शतप्रतिशत नामांकन का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है। जनपद का एन. ई. आर. 98.9 है।

छात्र नामांकन

तालिका 2.8

उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	11-14 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या			परिषदीय			मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त अनुमोदित			कुल नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2000-2001	42117	33121	75232	2919	1562	4481	-	-	-	-	-	-	39472	30128	72408
2001-2002	42972	33916	76888	2606	2166	4772							41162	31938	73100
2003-2004	43261	34172	77433	3131	2530	5661							42927	33644	76571

	नामांकन अनुपात		
	बालक	बालिका	योग
2001-2002	93.7%	84.7%	89.4%
2002-2003	95.8	94.2	95.1
2003-2004	99.2	98.5	98.9

6-11 आयु वर्ग

11-14 आयु वर्ग

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	विसरख	286	273	559	160	167	327
	दादरी	195	154	349	76	86	162
	दनकौर	477	365	842	243	940	483
	जेवर	1272	1162	2434	409	343	752
	योग	2230	1954	4184	888	836	1724

माह मई-जून 2003 में हाउस होल्ड सर्वे के द्वारा जनपद में कुल 5908 बच्चे स्कूल न जाने वाले चिन्हित किये गये। जिनमें से 3800 बच्चों का प्रवेश विभिन्न विद्यालयों में 31 अगस्त 2003 तक कराया जा चुका है शेष 2108 बच्चों को ब्रिज कोर्स व ए0 आई0 ई0 केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा जनपद में 43 न्याय पंचायत स्तरीय ब्रिज कोर्स व 16 ए0 आई0 ई0 केन्द्र (उच्च प्राथमिक) प्रस्तावित है।

ड्राप आउटरेट:-

वर्ष 2002-03 में प्राथमिक ड्राप आउट दर 28.0% तथा उच्च प्राथमिक ड्राप आउट दर 1.0% है।

कुल ग्रामों की संख्या तथा राज्य सरकार के मानक के अनुसार अरोपित ग्रामों की संख्या (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) निम्नांकित तालिकाओं से स्पष्ट है।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

इन्टर कालेज से सम्बन्ध + सी0बी0एस0ई0 से सम्बन्ध

सारणी -2.5

	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	प्रातावित प्राथमिक विद्यालय / ई0जी0एस0
ऐसी गाँवों बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	406	11	0	0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	08	17	0	0

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

इन्टर कालेज से सम्बन्ध + सी0बी0एस0ई0 से सम्बन्ध

सारणी -2.6

	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक दूरी परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्धता	प्रातावित उच्च प्राथमिक विद्यालय / AIF
ऐसे गाँवों बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	296	0	0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम	143	13	13

छात्र शिक्षक अनुपात:-

जनपद में वर्तमान में शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में) निम्नवत तालिका के अनुसार है-

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1374	1318	56	153	132
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	169	146	23	-	-

जनपद में वर्तमान में 1318 अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित 72599 बच्चों की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात का विभागीय मानक (प्राथमिक) 1:40 है पर जनपद में वर्तमान छात्र-शिक्षक अनुपात 1:55 है तथा 146 अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित 4481 बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अतः उच्च विद्यालय भवनों कक्षा कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर विद्यालयों की स्थिति (वर्तमान) को तालिका 2.9, 2.10 दर्शाया गया है-

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (वर्तमान स्थिति)

प्राथमिक स्तर

तालिका 2.9

प्राथमिक विद्यालय भवन

विकास खण्ड	विसरख	दादरी	दनकौर	जेवर	योग
एक कक्षीय विद्यालय	0	0	0	01	01
दो कक्षीय विद्यालय संख्या	57	53	76	69	255
तीन कक्षीय विद्यालय संख्या	17	21	25	17	80
चार कक्षीय विद्यालय संख्या	14	18	23	27	82
पाँच कक्षीय विद्यालय संख्या	30	07	14	15	66
पाँच से अधिक कक्षीय विद्यालय संख्या	13	08	05	01	27

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (वर्तमान स्थिति)

तालिका 2.10

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन

विकास खण्ड	विसरख	दादरी	दनकौर	जेवर	योग
एक कक्षीय विद्यालय	0	0	0	0	0
दो कक्षीय विद्यालय संख्या	0	0	0	0	0
तीन कक्षीय विद्यालय संख्या	2		2	0	04
चार कक्षीय विद्यालय संख्या	17	18	29	17	81
पाँच कक्षीय विद्यालय संख्या	2	01	0	0	03
पाँच से अधिक कक्षीय विद्यालय संख्या	4	1	0	3	8

विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

तालिका 2.11

क्रम सं०	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		मांग
		कमी	डी०पी०ई०पी०-तृती / द्वितीय व. वित्त आयोग में प्रविधान / जिला योजना / अन्य स्रोत	मांग	डी०पी०ई०पी०-तृती / द्वितीय व. वित्त आयोग में प्रविधान / जिला योजना / अन्य स्रोत	मांग	
					कमी		
1.	नवीन विद्यालय	0	0	0	0	—	0
2	विद्यालय पुननिर्माण	30		30	10	—	10
3	अतिरिक्त कक्षाकक्ष				10	—	10
4	पेय जल सुविधा	230		230	—	—	—
5	शौचालय	80		80	30	—	31

अध्याय-3 नियोजन प्रक्रिया

प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने हेतु विधेयक पारित होना इस बात का घोटक है कि वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्यता व प्रमुखता से सम्मझा गया शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और न ही वह समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक बन पाता है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि सभी नागरिक शिक्षित हो इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शिक्षा ऐसी हो जो श्रेष्ठ कोटि के नागरिकों का निर्माण कर सके तथा उनमें राष्ट्र के प्रति आस्था जागृत कर सके ।

प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने का वर्ष 2010 तक 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी व उद्देश्य परक, शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का लागू होना एक क्रांतिकारी व ऐतिहासिक कदम है।

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता संवर्द्धन, विद्यालय संचालन प्रणाली में सुधार, विद्यालय भवन में सुधार हेतु प्रयास है साथ ही लिंग भेद, सामाजिक, व धार्मिक के अन्तर को समाप्त करने की हेतु संकल्पना भी सर्व शिक्षा अभियान में की गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा जिससे विद्यालय स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके । इस कार्य में शिक्षा विभाग के साथ साथ विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवक, महिला संगठन आदि का सहयोग वांछनीय होगा । जनपद गौतमबुद्धनगर में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना को तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये ।

1. नियोजन टीम का गठन:

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना को तैयार करने हेतु छः सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया । दिनांक 5-6 नवम्बर को सीमैट इलाहाबाद में पर्स पैक्टिव प्लान तैयार करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

2 नियोजन टीम द्वारा की गयी कार्यवाही:

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु जनपद, विकास खण्ड न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर बैठके आयोजित की गई। सर्व शिक्षा अभियान को प्रारम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति सोच, उसकी क्या-क्या अपेक्षाएँ हैं तथा वह इसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। इन विषयों पर समुदाय की राय जानने के लिये एफ0जी0डी0 के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्र की विशेष समस्याओं को जानकर पर्स पेक्टिव प्लान तैयार किया गया। एफ0जी0डी0 के माध्यम से कुछ ऐसे व्यक्ति सामने आये जो कि सम्पर्क व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं, स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायत के सदस्यों की सोच, विभिन्न वर्गों के लोगो की शिक्षा के प्रति सोच आदि की जानकारी से पर्स पेक्टिव प्लान बनाने में सहायता मिली ।

नियोजन टीम के सदस्यों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर बैठकें आयोजित की गयी जिसमें प्रधानाध्यापको व ग्राम प्रधानों से शिक्षको के प्रति उनकी मूलभूत आवश्यकता को जाना गया। जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक के से सर्व शिक्षा अभियान को जानकारी प्रत्येक ग्राम की शिक्षा समिति को प्राप्त करायी गयी साथ ही अवगत कराया गया कि वह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। इसकी योजना एफ0जी0डी0 के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन ग्रास रूट लेबल प्लानिंग के आधार पर निर्मित की गयी। योजना के निर्माण के पश्चात् इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर तबके के सहयोग से होगा। विशेष कर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन / प्रबन्ध सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे । अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बन्धी भी उनकी भार्गीदारी

होगी। स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थों में यह जनता का अभियान बच सके।

पर्स पेक्टिव प्लान में जनपद विशेष में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्राम प्लानिंग के बाद जनपद स्तर नियोजन का स्वरूप निर्धारण किया गया है।

ग्राम स्तर पर नियोजन

इस स्तर पर हमने ग्राम तथा बस्ती के प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वय वर्ग के बालक तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया। इस स्तर के नियोजन में निम्न तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया।

1. 6-14 वय वर्ग के कुल बालक/ बालिकाओं की संख्या
2. विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
4. विद्यालय न जाने का कारण
5. क्या गांव में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र है, यदि नहीं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।
6. यदि प्रा० वि० है तो क्या उसके पास भवन या भौतिक संसाधन उपलब्ध है। नहीं तो इसके सुधार के लिये ग्राम वासियों के क्या सुझाव है।
7. यदि ग्राम में मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं
8. क्या विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या 40:1 के अनुसार है।
9. क्या विद्यालय में अध्यापक नियमित रूप से आते हैं।

शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार। उपर्युक्त विचार विमर्श के पश्चात् ग्राम के उत्साही नवयुवकों, बुद्धिजीवियों तथा

शिक्षको द्वारा मिल जुलकर उक्त ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण के निम्न सूचनाएं प्रयुक्त हुई ।

1. बस्ती / मजरे की पूर्ण संख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. लिंगवार जनसंख्या
4. स्कूल जाने वाले / न जाने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति ।

जनपद स्तर पर नियोजन

जनपद में अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय संचालित है उसी के वृहद स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जाना है। जिन विकास एजेन्सी से हमें डी0पी0ई0पी0 से सहयोग मिला है और जो विभाग मानव संसाधनों का सृजन करते हैं उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों की गई ।

जिला पंचायत अध्यक्ष, व जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक, माननीय सांसद व माननीय विधायकगण के साथ बैठक प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षक संगठनों, अभिभावकों विशिष्ट समूहों से विचार विमर्श किया गया। इसी प्रकार विभिन्न समुदाय के सदस्यों से स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श किया गया। नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण ।

सूक्ष्म नियोजन ग्राम शिक्षा योजना व बालगणना

सूक्ष्म नियोजन ग्राम शिक्षा योजना व बालगणना सूक्ष्म नियोजन यह है कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6.11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की

शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाये । सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने से पूर्व ग्राम शिक्षा समितिओं के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों व अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजन किया गया। जनपद में अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित है। प्रथम वर्ष में जनपद की 150 ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षित हो चुकी है व सूक्ष्म नियोजन कार्य हो चुका है। जनपद के प्रत्येक ग्राम से बालगणना सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये गये आँकड़ों का विश्लेषण कर समस्याओं की पहचान की गयी। नियोजन हेतु प्रत्येक ग्राम से निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्र की गयी ।

1. ग्राम में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या ।
2. विद्यालय/ विद्या केन्द्र/वै० शिक्षा केन्द्र में पढने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
4. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/विद्या केन्द्र/ वै० शिक्षा को न जाने का कारण। यदि ग्राम में विद्यालय/ विद्या केन्द्र/ वै० शि० के० नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।
5. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था करते हैं।
6. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक साधन पर्याप्त है ?
7. यदि नहीं तो इनके सुधार के लिये ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं ?
8. क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है ?
9. शिक्षण कार्य की स्थित/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों व अध्यापकों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन के दौरान निम्न कार्य ग्रामवासियों व अध्यापको के सहयोग से किये गये

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्र/शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्र, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक-युवतियों शिक्षक/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया।

इसके पश्चात् शैक्षिक मानचित्र के द्वारा गांव का सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनाई गई।

शैक्षिक मानचित्र द्वारा ग्राम के लिए निम्न सूचनाएं एकत्र की गयी

1. बस्ती पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगो व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार विमर्श करके उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के

विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस वर्ष की ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण अतिशीघ्र करके सूक्ष्मनियोजन कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति, एप0पी0आर0सी0 बी0आर0सी0 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायत से 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष व 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इन बच्चों में बालकों की संख्या भी आंकलित की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो काम काजी भी है पैतृक व्यवसाय में माता पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे हैं।

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण कारण सहित ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण—

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन करते समय जनपद के प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण कराया गया जिससे स्कूल जाने वाले, एवं स्कूल न जाने वाले 6-11 वयवर्ग एवं 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या एकत्रित की गई। इस कार्य को परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को मुख्य रूप से लगाया गया तथा ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग भी प्राप्त किया गया। पहली बार स्कूल न जाने वाले बच्चों के स्कूल न जाने के चार महत्वपूर्ण कारणों ही पहचान की गयी तथा 6-14 वय वर्ग के बच्चों का इन चार वर्गों में विभाजन भी किया गया है ये चार कारण निम्नवत हैं—

1. अपने घरेलू कार्यों में लगे रहना
2. मजदूरी में लगे रहना
3. छोटे भाई बहनों की देखभाल
4. विद्यालय की अनुपलब्धता
5. अन्य कारण

उपर्युक्त कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०स०	कारण	5 से 6		7 से 10		11 से 14		योग		
		बा०	क०	बा०	क०	बा०	क०	बा०	का०	योग
1.	अपने घर के कार्यों में लगे रहना	290	365	400	365	317	351	1007	1081	2088
2.	मजदूरी में लगे रहना	511	109	156	61	149	85	356	255	611
3.	भाई बहनों की देखभाल	343	204	346	359	204	230	893	793	1686
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	12	0	47	42	03	71	62	113	175
5.	अन्य कारण	256	195	329	254	215	99	800	548	1348
	योग	952	873	1278	1081	888	836	3118	2790	5908

अध्याय-3

हाउस होल्ड सर्वेक्षण 2003

क0स0	ब्लाक का नाम	6-11 वय वर्ग के बच्चे									11-14 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		ब0	का0	योग	बा0	क0	योग	बा0	क0	योग	बा0	का0	योग	बा0	का0	योग	बा0	का0	योग
1.	विसरख	23480	18540	42020	23194	18267	41461	286	273	559	13977	11246	25223	13817	11079	24896	160	167	327
2.	दादरी	13827	11075	24902	13632	10921	24553	195	154	349	7473	5734	13207	7397	5648	13045	76	86	162
3.	दनकौर	21570	17622	39192	21093	17257	38350	477	365	842	12109	9736	21845	11866	9496	21362	243	240	483
4.	जेवर	20037	16458	36495	18765	15296	34061	1272	1162	2434	9610	7429	17039	9201	7086	16287	409	343	752
	योग	78914	63695	142609	76684	61741	138425	2230	1954	4184	43169	34145	77314	42281	33309	75590	888	636	1724

माह मई जून 2003 में हाउस होल्ड सर्वे के द्वारा जनपद में कुल 5908 बच्चे स्कूल न जाने वाले चिन्हित किये गये। जिनमें से 3800 बच्चों को जनपद के विभिन्न विद्यालयों में 31 अगस्त 2003 तक नामांकित कराया जा चुका है। शेष 2108 बच्चों को ब्रिज कोर्स व ए0आई0ई0 केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। जनपद में 43 न्याय पंचायत स्तरीय ब्रिज कोर्स व उच्च प्राथमिक स्तर के 16 ए0आई0ई0 केन्द्र प्रस्तावित है।

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

सारणी-3.1

क.सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	वैठक/बिचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1.	विकास खण्ड स्तर	12.11.01	सालारपुर	अधिकारी -3 ग्राम प्रधान -12 प्रधानाध्यापक-108 एन.पी.जी.आर.ए.जी-6 कुल- 129	1. असेवित क्षेत्रों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार। 2. विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, शौचालय, मरम्मत की आवश्यकता। 3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या पर विचार विमर्श
2.	विकास खण्ड स्तर	14.11.01	जेवर	अधिकारी-3 ग्राम प्रधान -98 प्रधानाध्यापक-108 एन.पी.जी.आर.ए.जी-14 कुल- 127	1. असेवित क्षेत्रों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोलने पर विचार। 2. दूर दराज क्षेत्रों में विद्या केन्द्र खोलने हेतु आवश्यकता। 3. विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, मरम्मत की आवश्यकता। 4. विद्यालयों में टहराव की समस्या।
3.	ग्राम स्तर	17.11.01	छपरौला	अधिकारी -1 ग्राम प्रधान -1 नेहरू युवा केन्द्र-3 एन.पी.जी.आर.सी.-1 अध्यापक -2 वी.टी.सी.सदस्य -2 अभिभावक -7 कुल -7	1. बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि की आवश्यकता। 2. विद्यालय में गुणवत्ता सर्वद्वन की आवश्यकता। 3. बालकों का विद्यालय में टहराव की आवश्यकता।
4.	ग्राम स्तर	17.11.01	दुजाना	अधिकारी -1 महिला प्रधान-1 नेहरूयुवा केन्द्र के सदस्य-2 एन.पी.जी.आर.सी.-1 सहा. अध्यापक-3 अभिभावक -5 कुल -13	1. बालिकाओं के टहराव में वृद्धि न होना। 2. विद्यालय की चाहदीवारी की आवश्यकता। 3. शौचालय की आवश्यकता। 4. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामाग्री का अभाव।
5.	ग्राम स्तर	15.11.01	कोट	अधिकारी -1 प्रधानाध्यापक -1 ए.पी.जी.आर.सी. -10 ग्राम प्रधान -14 अभिभावक -4 कुल -07	1. विकलांग बच्चों के विद्यालय आने की समस्या। 2. बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान न होना। 3. शौचालय की समस्या।

6.	ब्लाक स्तर	19.11.01	दनकौर	अधिकारी -2 ग्राम प्रधान -14 प्रधानाध्यापक -123 एन.पी.आर.सी.-9 कुल -148	<ol style="list-style-type: none"> 1. असेवित क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता 2. दूरदराज क्षेत्रों में विद्या केन्द्र/ वै0 शि0 केन्द्र की आवश्यकता 3. विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, चाहरदीवारी की आवश्यकता 4. अल्पसंख्यक छात्रों के नामांकन वृद्धि की समस्या
7.	ब्लाक स्तर	20.11.01	दादरी	अधिकारी -3 प्रधानाध्यापक -85 एन.पी.आर.सी.-7 कुल -105	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षा, शौचालय, चाहरदीवारी की आवश्यकता 2. असेवित क्षेत्र में विद्यालय का खोला जाना 3. बालिकाओं के ठहराव की समस्या 4. लिंग भेद का समाप्त किया जाना
8.	ग्राम स्तर	20.11.01	विश्वनूली	अधिकारी -1 अध्यापक -2 महिला प्रधान -1 बहुउद्देश्यकर्मी-1 वी.डी.सी.सदस्य-23 अभिभावक -5 कुल -12	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यालय भवन की दशा को सुधार करना 2. लिंग भेद की समस्या को दूर किया जाये 3. बालिकाओं के ठहराव पर ध्यान दिया जाये 4. बालिकाओं को खेल-कूद अंत्याक्षरी जैसे कार्यक्रम से जोड़ा जाये
9.	ग्राम स्तर	21.11.01	प्यावर्ती	अधिकारी -1 अध्यापक -2 प्रधान -1 स0अ0 महिला -5 कुल -10	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यालय में चाहरदीवारी व अतिरिक्त कक्षा कक्षा की आवश्यकता 2. अध्यापक की कमी को दूर करना 3. विकलांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान व्यवहार किया जाये
10.	न्याय पंचायत स्तर	21.11.01	धनौरी	अधिकारी -1 एन.पी.आर.सी.-1 सम.वयक प्रधान -2 प्रा0अ0 -12 अभिभावक -7	<ol style="list-style-type: none"> 1. बालिका शिक्षा की प्रभावी बना हेतु एक महिला अध्यापक की प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकता 2. शौचालय की प्रत्येक विद्यालय आवश्यकता जिससे बालिकाओं को समस्या न हो 3. शिक्षा के साथ-साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल सिखना आवश्यक है।

सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/बिचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1.	जनपद स्तर	23.11.01	नौएडा	जिला पंचायत अधिकारी-1 जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी -1 वित्त एवं लेखाधिकारी -1 सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी-3	<ol style="list-style-type: none"> असेवति वस्तियों व मजरो में नवीन विद्यालय/ वे0शि0के0 का खोला जाना शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार होना विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, शौचालय, चाहरदीवारी की आवश्यकता
2.	ग्राम स्तर	23.11.01	डेरी स्कीनर	अधिकारी -1 प्रधान -1 अध्यापक -3 अभिभावक -6 कुल -10	<ol style="list-style-type: none"> वालिकाओं द्वारा अधिकांश घर के कार्य के कारण विद्यालय छोड़ना वच्चों का गणवेश में न आना विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष व शौचालय बनाये जाना
3.	ग्राम स्तर	28.11.01	धूमखेड़ा	एन.पी.आर.सी.समा.-1 ग्राम प्रधान -1 वी.डी.सी. सदस्य -1 एम.टी.ए.आई.पी. टी. ए. सदस्य -18 अध्यापक -2 कुल- 23	<ol style="list-style-type: none"> आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माता पिता वच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते स्कूल चलो अभियान जैसे कार्यक्रम समय-समय पर चलाये जाये वच्चों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ा जाय वालिका को घरेलू कार्य जैसे सिलाई बुनाई आदि को शिक्षण में सिखाना
4.	न्याय पंचायत स्तर	25.11.01	दयानतपुर	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.समा.-1 ग्राम प्रधान -2 प्रधानाध्यापक -7 वी.डी.सी. सदस्य -2 अभिभावक -5 कुल -18	<ol style="list-style-type: none"> विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों का अभाव विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता वेगमावाद मजरे में विद्यालय उपलब्ध न होना
5.	न्याय पंचायत स्तर	29.11.01	चिपियाना	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 समन्वयक-1 प्रधान-1 प्रा0 अ0 -10 अभिभावक-15 कुल-29	<ol style="list-style-type: none"> भवन जार्जर विद्यालय में वालिकाओं के ठहराव की आवश्यकता मानक के अनुसार विद्यालयों अध्यापकों की आवश्यकता अध्यापक को अध्यापक कार्य तक ही रहने की आवश्यकता

क.सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/बिचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
16.	ग्राम स्तर	29.11.01	मोहवलीपुर	अधिकारी-1 अध्यापक-2 प्रधान-1 स0 अ0-1 अभिभावक-6 कुल-11	1. विद्यालयों में शौचालय की आवश्यकता 2. असंवित क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता 3. बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ने की आवश्यकता 4. ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय भवन का उपयोग न करना 5. अतिरिक्त कक्ष बनाने की आवश्यकता
17.	न्याय पंचायत स्तर	3.12.01	कासना	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-2 प्र0 अ0-1 स0 अ0 -3 अभिभावक-9 कुल-17	1. बालिकाओं के टहराव की आवश्यकता 2. विद्यालय में एक चपरासी या चौकीदार की आवश्यकता 3. अधिकतर विद्यालयों में शौचालय चाहरदीवारी की आवश्यकता 4. सहायक सामग्री की आवश्यकता 5. 40:1 के मानक से अध्यापकों की आवश्यकता
18.	न्याय पंचायत स्तर	3.12.01	खटाना	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-1 प्र0 अ0 -1 अभिभावक-15 कुल-19	1. कुछ विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता 2. राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अध्यापकों को लगे रहने की समस्या 3. अनुसूचित जाति के बच्चों को टहराव की आवश्यकता 4. कामकाजी व बाल श्रमिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना
19.	ब्लाक स्तर पर	3.12.01	दादरी	अधिकारी-1 वी.आर.सी.-1 ए.डी.ओ. पंचायत-1 प्र0 अ0 -82 प्रधान-6 एन.पी.आर.सी.-8 कुल-99	1. शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न करना 2. असेवित क्षेत्र में विद्यालयों की आवश्यकता 3. शैक्षिक निरीक्षण की आवश्यकता 4. विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता
20.	न्याय पंचायत स्तर	4.12.01	वरौला	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्र0 अ0-5 अभिभावक-13 कुल-21	1. ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय भवन गन्दगी न फैलाने की आवश्यकता 2. विद्यालयों में साज-सज्जा की आवश्यकता 3. सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता 4. अध्यापकों से अतिरिक्त कार्य न करना

क.सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/बिचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
21.	ग्राम स्तर	4.12.01	रामपुर माजरा	अधिकारी-1 स0 अ0 -2 प्रधान-1 अभिभावक-15 कुल-19	1. मानक के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता 2. विद्यालय के समय में संशोधन की आवश्यकता 3. बालिकाओं का विद्यालय में टहराव की आवश्यकता
22.	ब्लक स्तर	4.12.01	जेवर	अधिकारी-1 वी.आर.सी.-1 प्र0 अ0-72 एन.पी.आर.सी.-9 प्रधान-15 कुल-98	1. विद्यालयों में अनुसूचित बच्चों के टहराव की आवश्यकता 2. असेवित क्षेत्र में बालिकाओं के लिए विद्यालयों की आवश्यकता 3. शैक्षिक निरीक्षण की आवश्यकता 4. बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता
23.	न्याय पंचायत स्तर	4.12.01	ऊँचा अमीपुर	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-2 प्र0 अ0 -11 अभिभावक-9 कुल-24	1. अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं की आवश्यकता 2. मानक के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता 3. अध्यापकों को केवल शिक्षण कार्यो तक ही सीमित रखना
24.	न्याय पंचायत स्तर	4.12.01	धूममानिकपुर	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-4 प्र0 अ0-10 अभिभावक-13 कुल-29	1. विद्यालयों में चाहरदीवारी एवं शौचालय की आवश्यकता 2. शिक्षा समिति के सहयोग की आवश्यकता 3. एम.टी.ए. -ए.ओ.पी. के सहयोग की आवश्यकता 4. विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता
25.	ग्राम स्तर	5.12.01	चौड़ा	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-1 प्र0 अ0 -1 स0 अ0-5 अभिभावक-15 कुल-23	1. विद्यालय में सफाई कर्मचारी की आवश्यकता 2. सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता 3. बालिकाओं की विद्यालय में टहराव की आवश्यकता
26.	न्याय पंचायत स्तर	5.12.01	सूरजपुर	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-3 प्र0 अ0 -1 अभिभावक-20 कुल-26	1. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता 2. बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन की आवश्यकता 3. छात्रों को विद्यालय में नियमित उपस्थिति की आवश्यकता 4. विद्यालय समय में संशोधन की आवश्यकता

क.सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/बिचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
27.	ग्राम स्तर	5.12.01	लड़पुरा	अधिकारी-1 प्रधान-1 प्रा0 अ0-1 महिला अ0-2 अभिभावक-16 कुल-21	1. विद्यालय में वच्चों के टहराव की आवश्यकता 2. सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता 3. शिक्षकों से अन्य कार्य न कराये
28.	न्याय पंचायत स्तर	5.12.01	रौनीजा	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-4 प्रा0 अ0-1 अभिभावक-14 कुल-21	1. असेवित क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता 2. चाहरदीवारी एवं शौचालय की आवश्यकता 3. बालिकाओं के विद्यालय में टहराव की आवश्यकता 4. मानक के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता
29.	ग्राम स्तर	5.12.01	रसूलपुर डासना	अधिकारी-1 प्रधान-1 प्रा0 अ0-1 महिला स0अ0-2 अभिभावक-14 कुल-19	1. विद्यालय में साज सज्जा के सामान की आवश्यकता 2. वच्चों के लिए बैठने को उचित स्थान व टाट पट्टी की व्यवस्था 3. विकासांग वच्चों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता
30.	न्याय पंचायत स्तर	6.12.01	बन्वावड़	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-6 प्रा0 अ0-1 अभिभावक-17 कुल-26	1. शैक्षिक निरीक्षण की आवश्यकता 2. बालिकाओं के विद्यालय में टहराव की आवश्यकता 3. मानक के अनुरूप अध्यापकों की आवश्यकता 4. पाठ्य क्रम व्यावसायिक होना
31.	न्याय पंचायत स्तर	6.12.01	विसाहड़ा	अधिकारी-1 एन.पी.सी.-1 प्रधान-3 प्रा0 अ0-1 अभिभावक-9 कुल-15	1. विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता 2. शौचालय एवं चाहरदीवारी की आवश्यकता 3. शिक्षण अधिकतम सामाग्री की आवश्यकता 4. अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता
32.	ब्लाक स्तर पर	8.12.01	दनकौर	अधिकारी-1 ए.डी.ओ. पंचायत-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-10 प्रा0 अ0-79 कुल-100	1. शौचालय व चाहरदीवारी की आवश्यकता 2. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन 3. रोचक पाठ्यक्रम की कमी 4. शैक्षिक निरीक्षण की आवश्यकता

सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/बिचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
	ग्राम स्तर	5.12.01	लड़पुरा	अधिकारी-1 प्रधान-1 प्रा० अ०-1 महिला अ०-2 अभिभावक-16 कुल-21	1. विद्यालय में वच्चों के ठहराव की आवश्यकता 2. सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता 3. शिक्षकों से अन्य कार्य न करायें
	न्याय पंचायत स्तर	5.12.01	रौनीजा	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-4 प्रा० अ०-1 अभिभावक-14 कुल-21	1. असेवित क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता 2. चाहरदीवारी एवं शौचालय की आवश्यकता 3. बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव की आवश्यकता 4. मानक के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता
	ग्राम स्तर	5.12.01	रसूलपुर डासना	अधिकारी-1 प्रधान-1 प्रा० अ०-1 महिला स०अ०-2 अभिभावक-14 कुल-19	1. विद्यालय में साज सज्जा के सामान की आवश्यकता 2. वच्चों के लिए बैठने को उचित स्थान व टाट पट्टी की व्यवस्था 3. विकलांग वच्चों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता
	न्याय पंचायत स्तर	6.12.01	वन्धावड़	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-6 प्रा० अ०-1 अभिभावक-17 कुल-26	1. शैक्षिक निरीक्षण की आवश्यकता 2. बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव की आवश्यकता 3. मानक के अनुरूप अध्यापकों की आवश्यकता 4. पाठ्य क्रम व्यावसायिक होना
	न्याय पंचायत स्तर	6.12.01	विसाहड़ा	अधिकारी-1 एन.पी.सी.-1 प्रधान-3 प्रा० अ०-1 अभिभावक-9 कुल-15	1. विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता 2. शौचालय एवं चाहरदीवारी की आवश्यकता 3. शिक्षण अधिकतम सामाग्री की आवश्यकता 4. अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता
	ब्लक स्तर पर	8.12.01	दनकौर	अधिकारी-1 ए.डी.ओ. पंचायत-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-10 प्रा० अ०-79 कुल-100	1. शौचालय व चाहरदीवारी की आवश्यकता 2. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन 3. रोचक पाठ्यक्रम की कमी 4. शैक्षिक निरीक्षण की आवश्यकता

क्र.सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/बिचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
33.	ब्लक स्तर पर	8.12.01	सालारपुर	अधिकारी-1 ए.वी.आर.सी.-2 प्रधान-12 प्रा0 अ0 -45 कुल-70	<ol style="list-style-type: none"> 1. बालिकाओं का विद्यालय में टहराव की आवश्यकता 2. विद्यालय भवन का ग्रामवासियों द्वारा प्रयोग न करने की आवश्यकता 3. शिक्षा में गुणवत्ता लाने की आवश्यकता
34.	ग्राम स्तर	8.12.01	दुरियाई	अधिकारी-1 स0 अ0 -2 प्रधान-1 अभिभावक-18 कुल-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन की आवश्यकता 2. अनुसूचित छात्रों के टहराव की आवश्यकता 3. शैक्षिक निरीक्षण की आवश्यकता
35.	न्याय पंचायत स्तर	10.12.01	नीमका	अधिकारी-1 ए.वी.आर.सी.-1 प्रधान-4 प्रा0 अ0 -8 अभिभावक-15 कुल-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. बालिकाओं को विद्यालयों में प्रवेश की आवश्यकता 2. चाहरदीवारी व शौचालय की आवश्यकता 3. छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों का होना
36.	ग्राम स्तर	11.12.01	जेवर	अधिकारी-1 प्रधान-1 अध्यापक महिला-1 अभिभावक-18 कुल-21	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय भवन का उपयोग न करने 2. शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता 3. विद्यालयों में अध्यापकों की कमी का होना 4. विद्यालय में साज सज्जा के समान की आवश्यकता
37.	जनपद स्तर	15.12.01	नोएडा	जिलाधिकार-1 जिलापंचायत राजअ0-1 जिलाकार्य क्रम अधिकारी-1 जिलापंचायत अध्यक्ष-1 जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी-1 खण्ड विकास अधिकारी-2 कुल-07	<ol style="list-style-type: none"> 1. असेवित अस्तियों में विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव 2. अतिरिक्त कक्षा-कक्षा, शौचालय व चाहरदीवारी की विद्यालयों में आवश्यकता 3. छात्रों को विद्यालय में रोकने हेतु उपायों पर चर्चा

सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
	न्याय पंचायत स्तर	9.12.01	परथला	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-6 प्रा0 अ0 -6 अभिभावक-15 कुल-29	1. विद्यालयों में टहराव की कमी 2. विकलांग बच्चों आर्थिक सहायता की आवश्यकता 3. मानक के अनुसार अध्यापक की कमी 4. महिला अध्यापकों की कमी 5. अध्यापक व अभिभावक गोष्ठी का अभाव 6. वि0 में बालिकाओं का नामांकन टहराव कम
9.	न्याय पंचायत स्तर	9.12.01	मिर्जापुर	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-4 प्रा0 अ0 -5 अभिभावक-12 कुल-24	1. असेवित क्षेत्र में बालिका विद्यालयों की आवश्यकता 2. शौचालय व चाहरदीवारी की आवश्यकता 3. मानक के अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता 4. विद्यालय भवन का ग्रामवासियों द्वारा उपयोग न करना
0.	न्याय पंचायत स्तर	9.12.01	घोड़ी वछेड़ा	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-3 प्रा0 अ0 -5 अभिभावक-9 कुल-19	1. बालिकाओं का विद्यालय में टहराव की आवश्यकता 2. चाहरदीवारी एवं शौचालय की आवश्यकता 3. अध्यापकों की आवश्यकता 4. शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की आवश्यकता
1.	न्याय पंचायत स्तर	9.12.01	नेकपुर	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-2 प्रा0 अ0 -6 अभिभावक-11 कुल-21	1. विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता 2. शैक्षिक वातावरण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता 3. अध्यापकों की आवश्यकता
2.	न्यायपंचायत स्तर	8.12.01	वैदपुरा	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-6 प्रा0 अ0 -1 अभिभावक-17 कुल-26	1. चाहरदीवारी एवं शौचालय की आवश्यकता 2. विद्यालय में साज-सज्जा की आवश्यकता 3. अनुसूचित छात्रों को विद्यालय में टहराव की आवश्यकता
3.	जनपद स्तर	8.12.01	नोएडा	वेसक शिक्षा अधिकारी-1 स.वि.एवं लेखाधिकारी-1 जिला समन्वयक-4 स.वे.शि.अ.-3	1. सर्व शिक्षा अभियान योजना निर्माण की समीक्षा 2. वै. शि. केन्द्र व ई.जी.एस. खोलने हेतु वस्ती के नाम पर विचार विमर्श 3. बालिका शिक्षा, समेकित शिक्षा में मूलभूत आवश्यकता

क.सं.	जनपद स्तर/ब्लक स्तर/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	लेखाकार-1 कुल-10	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
44.	न्याय पंचायत स्तर	11.12.01	चीरही	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-2 प्र० अ०-6 अभिभावक-12 कुल-22	1. बालिकाओं के नामांकन की आवश्यकता 2. ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय भवन के उपयोग न करने की आवश्यकता 3. विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति 4. शौचालय एवं चाहरदीवारी की आवश्यकता	
45.	न्यायपंचायत स्तर	12.12.01	छपना	अधिकारी-1 एन.पी.आर.सी.-1 प्रधान-4 प्र० अ०-7 अभिभावक-19 कुल-32	1. अनुसूचित छात्रों के विद्यालय टहराव की आवश्यकता 2. विद्यालयों में साज-सज्जा की आवश्यकता 3. असेवित क्षेत्र में विद्यालयों की आवश्यकता 4. बालिका शिक्षा की आवश्यकता पर बल	
46.	जनपद स्तर	15.12.01	डायट हापुड़	प्रचार्य डायट-1 वरि. प्रवक्ता-1 वि.वे.शि.अ.-1 जिला समन्वयक-4 डायट मेन्टर-4 एन.पी.आर.ए.सी. समन्वयक-11 कुल-20	1. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विचार विमर्श 2. सतृत मूल्यांकन हेतु आवश्यक सुझाव 3. विद्यालयों के श्रेणीकरण की स्थिति 4. शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विश्लेषण	

स्कूल चलो अभियान

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हाउस होल्ड सर्वेक्षण में चिन्हित स्कूल जाने वाले 6 –11 वय वर्ग बच्चो के शत प्रतिशत नामांकन हेतु शासन के निर्देशानुसार जुलाई 2003 में “स्कूल चलो अभियान” कार्यक्रम चलाया गया।

कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार करने हेतु व अभियान सफल एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर एक बैठक का आयोजन हुआ तथा समिति के सदस्यों को कार्यभार सौंपे गये।

कार्ययोजना के अनुसार निम्नलिखित आयोजन किये गये। दिनांक 1 जुलाई जनपद स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारम्भ माननीय विधायक श्री नवाब सिंह नागर द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किया गया तथा रैली को सम्बोधित किया गया। रैली में जन प्रतिनिधियों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ लगभग 2000 बच्चों ने भाग लिया। माननीय मंत्री जी द्वारा निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करायी गयी।

दिनांक 2 जुलाई : दिनांक 2 जुलाई को वी0आर0सी0 तथा एन0पी0 स्तर पर ब्लाक स्तरीय जन प्रतिनिधियों द्वारा अभियान की शुरुआत की गयी।

दिनांक 3 जुलाई : जनपद स्तर पर एक मशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों तथा 250 बच्चो ने प्रतिभाग किया। बच्चे हाथो में मशाल, नारे लिखी तख्तियाँ, पोस्टर, बैनर आदि लिये हुये थे।

दिनांक 4 जुलाई : जनपद के सभी जूनियर हाई स्कूल वाले ग्राम कस्बों में सायंकाल मशाल जुलूस निकाला गया तथा ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठके आयोजित की गयी तथा उनसे सहयोग मँगा गया।

दिनांक 5 जुलाई : राजकीय इण्टर कॉलेज, नौएडा में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें एन0जी0ओ0 से गणमान्य व्यक्तियों तथा अन्य जिला स्तर के अधिकारियों की आमंत्रित किया गया तथा उनसे अभियान को सफल बनाने के लिये सुझाव मांगे गये साथ ही अभियान में सहयोग की अपील की गयी।

दिनांक 7 जुलाई : ब्लाक स्तर पर विभिन्न ब्लाकों में इसी प्रकार की गोष्ठी का आयोजन किया गया।

दिनांक 8 जुलाई : न्याया पंचायत स्तर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया तथा उनसे आग्रह किया गया कि वे बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में नामांकन के प्रति प्रेरित करें।

दिनांक 9 जुलाई : ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत स्तर पर मशाल जुलूस निकाले गये।

दिनांक 10-15 जुलाई: तक प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रभात फेरी निकाली गयी। जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया।

दिनांक 16-31 जुलाई तक विद्यालयों में समय समय पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठके आयोजित की गयी। जला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर अभियान की समीक्षा की गयी।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन

हाउस होल्ड सर्वे में स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चे						चिन्हित बच्चों में से 31 अगस्त तक नामांकित बच्चे						अवशेष बच्चे					
6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग			6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग			6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग		
बा0	का0	योग	बा0	का0	योग	बा0	का0	योग	बा0	का0	योग	बा0	का0	योग	बा0	का0	योग
2230	1954	4184	888	836	1724	1724	1214	2938	554	308	862	506	740	1246	334	528	862

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/ विभागों से समन्वय व सहयोग।

1. आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय-बच्चे को शिक्षा से जोड़ने हेतु आई.सी.डी.एस. का विशेष सहयोग रहता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, सी.डी.पी.ओ., आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सभी के सहयोग से बच्चे को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है, आंगन बाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में की जाती है, आंगन बाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है, कार्य कत्री का प्रशिक्षण आयोजन कराया जाता है जिससे उसमें नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही कार्य कर्ता के अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।
2. स्वास्थ्य विभाग:- स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है प्रत्येक छात्र छात्रा का स्वास्थ्य रिकार्ड विद्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। अभिभावक को छात्र छात्रा के रोग के बारे में जानकारी दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा रोग का उपचार कराया जाता है। चिकित्सकों के माध्यम से चिन्हित किये गये विकलांग बच्चों की जांच की जाती है। उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से विकलांग बच्चों को उपस्कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
- 3- समाज कल्याण विभाग:- समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के सभी बच्चों

को क्रमशः रू0 300/- व रू0 480/- प्रति छात्र कौ दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- 4- पंचायत विभाग:- ग्राम पंचायत के सहयोग से नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है। विद्यालय सम्बन्धी ग्राम प्रधान की समस्याओं को जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से हल कराया जाता है।
- 5- ग्राम विकास विभाग:- शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण डी.आर.डी.ए. से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शीघ्र 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालयों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को अच्छादित किया जा सके।
- 6- नौएडा से समन्वय:- जनपद में विद्यालय विकास हेतु नौएडा का विशेष महत्व है। नौएडा द्वारा उसके क्षेत्र में स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण, शौचालय निर्माण, चारदीवारी कराया जाता है। नौएडा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल, विद्यालय प्रांगण में छात्रों के लिए पार्क व झूलों की व्यवस्था की जाती है।
- 7- ग्रेटर नौएडा से समन्वय:- ग्रेटर नौएडा द्वारा भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु आवश्यकानुसार विद्यालय भवन, चारदीवारी शौचालय का निर्माण कराया जाता है।
- 8- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग:- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय व सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक

छात्र छात्रा को 3 किग्रा० प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्य वितरित कराया जाता है।

- 9- अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वय:- 6-14 आयु वर्ग के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्रों को प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमशः रू० 300/- व रू० 480/- छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है। ताकि इन छात्रों की पठन सामग्री को उपलब्ध हो सके।
- 10- उ० प्र० जल निगम/ यू०पी० एग्री से समन्वय:- इन दोनों विभागों से सहयोग से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैंड पम्प की स्थापना की जाती है।
- 11- युवा कल्याण विभाग से समन्वय:- युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है। ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्र तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ता के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा समिति को प्रशिक्षित करने में कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाता है।
- 12- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग समन्वय:- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहयोग से पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमशः 300/- व रू० 480/- छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है।
- 13- विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय:- विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र छात्राओं छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है व उन्हें

उपकरण ट्राय साइकिल, वैसाखी आदि उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है।

14- अभियन्ता सेवा विभाग से समन्वय:- अभियन्ता सेवा विभाग के सहयोग से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की तकनीकी जाँच करायी जाती है। समय समय पर भवन सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर आख्या ली जाती है।

15- लोक निर्माण विभाग से समन्वय:- लोक निर्माण विभाग के सहयोग से विद्यालय के आसपास गति अवरोधक बनाये जाते है। सड़क को विद्यालयों के आस-पास दुर्घटना न होने को आवश्यक उपाय किये जाते है।

16- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से समन्वय:- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सहयोग से शिक्षा का प्रसार व प्रचार किया जाता है। शिक्षा के विभिन्न कार्यकर्ताओं को जन-जन तक पहुँचाने में मदद ली जाती है।

17- नौएडा लोक मंच एन.जी.ओ. से समन्वय:- नौएडा लोकमंच के सहयोग से नौएडा क्षेत्र में स्थिति प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को पठन सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। छात्रों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को दूर किया जाता है।

अध्याय-4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य:- सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6-14 वर्ष के बच्चों को उपयोगी एवं उद्देश्य परक जूनियर स्तर तक शिक्षा प्रदान करना है। सन् 2010 तक तथा समाजिक क्षेत्रीयण धार्मिक तथा लिंग पर आधारित भेदभावों को समाप्त कर क्रियाशील सामदायिक सहमति के साथ विद्यालयों का प्रबन्ध करना है सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित स्तर के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र वैकल्पिक स्कूल, बैंक टू स्कूल शिविर ग्रीष्म कालीन शिविर के माध्यम से स्कूल लाना है।
2. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा-5 तक की शिक्षा पूर्ण करना।
3. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा-8 तक की शिक्षा प्राप्त करना।
4. गुणवत्ता परक तथा जीवन पर आधारित प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
5. बालक- बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर अन्तर समाप्त करना।
6. सन् 2010 तक शत प्रतिशत ठहराव।

जिले विशिष्ट हेतु निर्धारित लक्ष्य:- उपरोक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ-साथ जनपद गौतमबुद्ध नगर के लिए भी विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो कि इस प्रकार हैं।

1. पहुँच:- जनपद गौतमबुद्ध नगर के सभी ग्रामों को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा से सेवित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 8 ऐसी बस्तियां चिन्हित की गयी है जिनकी आवादी 300 से कम है तथा निकटम विद्यालय से दूरी लगभग 1 कि०मी० है इन बस्तियों में ई० जी० एम० खोले जाने की योजना है। उपरोक्त के अतिरिक्त 26 ईटं भट्टे तथा गन्ने केशर को चिनिहत किये गये हैं जहां पर 6-14 वर्ष के 30 या उससे अधिक बच्चे उपलब्ध है इन पर भी ई० जी० एस०/ए० एस० खोलने की योजना एस० एस० ए० के माध्यम से है।

2. नामांकन:- जनपद गौतमबुद्ध नगर में वर्ष 2003-04 में परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 6-11 वर्ष के कुल 142609 बच्चे चिन्हित किये गये हैं जिनमें से 141363 बच्चों का नामांकन प्रा० वि० करा दिया गया है वर्तमान में जनपद का एन०ई० आर० 99.1 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2003-04 में बढ़ाकर 100 करने का उद्देश्य है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की वृद्धि दर 3.5 है जिसके आधार पर 2007 तक प्रोजेक्सन निम्न लिखित है।

Table - 4.1

प्राथमिक विद्यालय

G.B. NAGAR

वर्ष	6-11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गेर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिपदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	NER	बालिका+अनुजाति बालक का प्रतिशत (परिपदीय)
	2	3	4	5	6	7	8
2001-2002	135597	132558	68280	64278		97.8	43066
2002-2003	139043	136451	64486	71965		98.1	47560
2003-2004	142609	141363	68864	72599	1246	99.1	50304
2004-2005	145461	145461	71410	74051	0	100	54468
2005-2006	148370	148370	72460	75902	0	100	59263
2006-2007	151337	151337	73917	77420	0	100	61405

जनपद गौतमबुद्ध नगर में वर्ष 2003-04 में परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 11-14 वर्ग के कुल 77433 बच्चे चिन्हित किये गये हैं जिनमें से 76571 बच्चों का नामांकन उ० प्रा० विद्यालय में कराया जा चुका है वर्तमान में जनपद का एन.ई. आर. 98.9 प्रतिशत

है जिसे बढ़ाकर वर्ष 2004-2005 तक 100 प्रतिशत करना है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की वृद्धि दर 3.5 है जिसके आधार पर 2007 तक का प्रोजेक्शन निम्नलिखित है।

Table – 4.1

प्राथमिक विद्यालय

G.B. NAGAR

क्रमांक	वर्ष	11-14 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिपटीय उच्च प्रा. वि. में नामांकित बच्चों	जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं	NER	बालिका+अनुजाति बालक का प्रतिशत (परिपटीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001-2002	75232	72408	67927	4481	2824	89	3002
2	2002-2003	76888	73100	68328	4772	3788	95.1	3204
3	2003-2004	677433	76571	70910	5661	862	98.9	3765
4	2004-2005	78981	78506	70631	7875	475	99.4	5125
5	2005-2006	80561	80362	72212	8150	196	99.8	5564
6	2006-2007	82575	82575	74140	8435	0	100	5960
7								
8								
9								

3. टहराव:- वर्तमान में जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 28.0 है जिसे 2006-2007 तक घटा कर शून्य करना है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर वर्तमान में 11.0 प्रतिशत है जिसे 2010 तक घटाकर शून्य प्रतिशत करना है वर्षवार वर्ष ड्रॉप आउट दर निम्न सारणी के अनुसार लक्षित गया है।

वर्ष	प्राथमिक ड्राप आडर रेट	ठहराव दर	उ० प्र० ड्राप आडर दर	ठहराव दर
2002-2003	28.0		11	
2003-2004	20.0		9	
2004-2005	13.0		7	
2005-2006	6.0		5	
2006-2007	0		3	

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक तथा उ० प्र० स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। जनपद के तीन ब्लकों - जेवर, दादरी, तथा दनकौर के 5-5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आँकड़े एकत्र किये गये जिनके आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय का ड्राप आउट ज्ञात किया गया।

गुणवत्ता संवर्धन:- शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु शिक्षकों को शिक्षा की नवीन रोचक ज्ञानवर्धक विधियों से प्रशिक्षित कराया जायेगा। छात्रों की अधिगम सतर की जांच हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर एक अनुश्रवण कराया जायेगा तथा सामने आयी समस्याओं को दूर करने हेतु विशिष्ट उपाय किये जायेगें। जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत व ग्राम स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन समिति गठित की जायेगी जो गुणवत्ता संवर्धन पर पैनी निगाह रखेगी।

अध्याय – 5

समस्याएं एवं रण नीतियाँ

जनपद में जनपदीय, विकास खण्ड, न्याय पंचायततत ततवत ग्राम स्तर पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कशन कराये गये। फोकस ग्रुप डिस्कशन में प्राप्त विचारों का विश्लेषण किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की योजना में विश्लेषित समस्याओं को रख गया व उनके सापेक्ष रणनीतियां बनायी गयी। रणनीतियां बनाते समय ध्यान रखा गया कि रणनीति लक्ष्यपूर्ति करने वाली हो, व्यवहारिक हो सन्तुलित हो। फोकस ग्रुप डिस्कशन के समय निम्न समस्याएं सामने आयीं व उनके सापेक्ष निम्न रणनीति बनायी गयी।

समस्याएं	रणनीति
(अ) नामांकन सम्बन्धी समस्याएं	
1. असेवित व मलीन बस्तियों में विद्यालय की सुविधा न होना	जनपद में असेवित व मलीन बस्तियों की पहचान की गयी है। 1.5 किमी परिधि व 300 की आबादी पर प्रत्येक असेवित क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा। मलीन बस्तियों में वै० शि० के० खोले जायेंगे। 1 किमी० वाले मजरो में ई० जी० एस० केन्द्र खोले जायेंगे। असेवित उ०प्रा०नि० ग्राम की पहचान की गयी है। 3 किमी० परिधि व 800 की आबादी पर उ०प्रा०नि० खोले जायेंगे।
2. भौगोलिक कठिनाई के कारण शिक्षा में अवरोध	जनपद का अधिकांश क्षेत्र यमुना के खादार में है। दूर दराज बस्तियों के लिए ई०जी०एस० केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
3. विक्लांग बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना	विक्लांगे बच्चों का सर्वे कराया जायेगा उन्हें विद्यालय तक लाने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा। स्वयं ऐसी संस्था के माध्यम से उन्हें उपस्कार दिलाये जायेंगे। जिला विक्लांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से छात्रवृत्ति दिलायी जायेगी।
4. बाल श्रमिक व सड़कछाप बच्चों को विद्यालय में लाना	6-14 आयु वय वर्ग के बाल श्रमिक व सड़क छाल बच्चों को स्वयं ऐसी संस्थाओं व श्रमविभाग के सहयोग से विद्यालय में लाया जायेगा। कामकाजी बच्चों वै०शि० केन्द्र में नामांकन कराया जायेगा। समाज के विभिन्न वर्गों में बच्चों को नामांकित कराने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

5. घर के काम काज व छोटे भारी बहनों के देखभाल के कारण बालिकाओं का नामांकन कम होना। जनपद की 6-14 आयु वर्ग की समस्त बालिकाओं का नामांकन कराया जायेगा। इसके लिए अभिभावकों में जागृति उत्पन्न की जायेगी। प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ही ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोले जायेगे जिससे बालिकाओं के छोटे भाई बहन केन्द्र पर आ सकें व बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर सकें। मीना अभियाना, एम0टी0ए0/पी0टी0ए0 की मदद से सभी बालिकाओं को विद्यालय तक लाया जायेगा।
6. आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण कुछ अभिभावक अपने बच्चों का विद्यालय नहीं भेजते हैं। ऐसे अभिभावकों को ग्रामे शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं व एम0टी0ए0 / पी0टी0ए0 की मदद से शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा साथ ही उन्हें बेसिक शिक्षा की प्रोत्साहन योजना जैसी निशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, पोषाहार आदि योजनाओं से अवगत कराया जायेगा। सामुदायिक सहभागिता से लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति की जायेगी।

(आ) धारण सम्बन्धी समस्याएं

1. विद्यालयों में शौचालय व चाहर दीवारी की अनुप लब्धता जनपद के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों शौचालय न चाहर दीवारी की कमी है इसके लिए शौचालय विहीन व चाहरदीवारी विहीन विद्यालयों को चिहित कर लिया गया है, एवं शिक्षा अभियान-के अर्न्तगत विद्यालयों में शौचालय व चाहर दीवारी का निर्माण करा दिया जायेगा।
2. जर्जर विद्यालय के पुनर्निर्माण व अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण की आवश्यकता जनपद के जर्जर विद्यालय व अतिरिक्त कक्ष आवश्यकता वाले, विद्यालयों की पहचान कर ली गई है। चरण वृद्ध रूप से समस्त जर्जर विद्यालय व अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करा दिया जायेगा।
3. अल्प संख्यक वर्ग के छात्रों के ठहराव की समस्या अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को विद्यालय में रोकने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को प्रेरित किया जायेगा। प्रोत्साहन जैसे छात्रवृत्ति, पोषहार व निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के माध्यम से भी बच्चों को विद्यालय में रोका जायेगा। गतिविधि के माध्यम स शिक्षा का रोचक बनाया जायेगा।

4. विद्यालय में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों कमी

जनपद के विकास खण्ड जेवर व दनकौर के दूरदराज के विद्यालयों में छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी है इसके लिए विद्यालयों में शिक्षा मित्र नियुक्त किये जायेंगे। समय प्रबन्ध से अध्यापकों को अवगत कराया जायेगा। उ०प्रा०वि० में विषय अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी, सभी विद्यालयों में समय विभाजन चक्र आवश्यक रूप से लागू कराया जायेगा।
5. विद्यालयों में फर्नीचर, टाटपट्टी, कुर्सी मेज का अभाव

प्राथमिक विद्यालयों में साज सज्जा हेतु अनुदान दिया जायेगा जिससे विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार सामग्री क्रय की जा सकें।
6. बालिकाओं के ठहराव की समस्या

बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव हेतु रूचिकर वातावरण का सहज किया जायेगा। गतिविधि के साथ शिक्षा के साथ-साथ घरेलू कार्य से भी जोड़ा जायेगा। यथा सम्भव विद्यालय में महिला अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी विद्यालय में शौचालय की स्थापना की जायेगी। बालिकाओं को विद्यालय में रोकने हेतु उनके छोटे भाई बहन को ई०सी०सी०ई० केन्द्रों में नामांकित कराया जायेगा। सभी अध्यापकों को बालिका शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायेगा।
7. विद्यालय का आकर्षक न होना

विद्यालयों को आकर्षक बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय को पुताई हेतु धन भेजा जायेगा। विद्यालय को आकर्षक बनाने हेतु बाहरी दीवारों पर शैक्षिक मानचित्र व आंकड़े बनाये जायेंगे। कक्षा कक्षों में विभिन्न चार्ट व मॉडल लगवाये जायेंगे। बच्चों द्वारा विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कराया जायेगा। सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय प्रांगण में खेलकूद का सामान लिया जायेगा।
8. आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों के पास पाठ्यपुस्तक कमी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी।

9. शिक्षक अभिभावकों में सामंजस्य न होना शिक्षकों को अभिभावकों के साथ बनाये रखने के लिए मात्र शिक्षक संघ व आभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करायी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागृत कराया जायेगा। अभिभावकों को उनके बच्चे की निरन्तर प्रगति से अवगत कराया जायेगा। समय-समय पर अभिभावक व शिक्षकों की गोष्ठी आयोजित करायी जायेगी।
10. ग्राम वासियों द्वारा विद्यालय प्रांगण में गन्दगी फैलाना ग्राम शिक्षा समिति, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों व अन्य ग्राम के सामान्य व्यक्तियों के सहयोग से विद्यालय प्रांगण को स्वच्छ रखा जायेगा।
11. शिक्षा को व्यवसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ना शिक्षा को रोजगार परक बनाने हेतु व्यवसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ा जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र क बालकों को कृषि, क्राफ्ट, फल संरक्षण आदि की जानकारी करायी जायेगी। बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई, बुनाई, जूट के कपड़े के बैग आदि सीखाने का प्रबन्ध किया जायेगा।
12. शिक्षकों पर शिक्षण के अतिरिक्त अन्यकार्यों की अधिकता शिक्षक विद्यालय में अधिक से अधिक शिक्षण कार्य करें इसके लिए उन्हें समय प्रबन्धन की जानकारी करायी जायेगी। समय विभाजन चक्र का कड़ई से पालन कराया जायेगा। प्रशिक्षण कार्य बार-बार न होकर एक समय में पूर्ण हो जाये इसका भी ध्यान रख जायेगा।
13. शिक्षक की शिक्षण कार्य में अरुचि शिक्षकों को शिक्षण कार्य में रुचि बनाने के लिए उत्साह बर्धक, रुचिपूर्ण, व गतिविधि द्वारा शिक्षण के विषयों में जानकारी हेतु प्रशिक्षण कराये जायेगे। विषय से सम्बन्धित विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कराये जायेंगे। पर्यवेक्षण सुदृढ़ किया जायेगा।
- (३) गुणवत्ता सर्वर्धन सम्बन्धी समस्याएं
1. शिक्षकों को पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी न होना शिक्षकों को प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम से अवगत कराने हेतु विषय वार प्रशिक्षण कराया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामाग्री के निर्माण की जानकारी शिक्षकों करायी जायेगी इसके लिए प्रत्येक अध्यापक को रू 500/- की दर से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2. बच्चों के व्यक्तिगत रुझाने में कमी बच्चों के अध्ययन के प्रति रुझाना उत्पन्न करकने के लिए उन्हें गतिविधि पर आधारित शिक्षण कराया जायेगा। कक्षा कक्ष में बच्चों के बैठक के तरीके पर ध्यान दिया जायेगा। विभिन्न प्रतियोगिता जैसे अत्याक्षरी, सुलेख, सामान्य ज्ञान, कला आदि करायी जायेंगी साथ ही खेल कूद प्रतियोगिता भी समय समय पर करायी जायेंगी।
 3. सतत मूल्यांकन की कमी शिक्षण के प्रभावी बनाने के लिए व बच्चे के समग्र विकास के लिए सतत व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा साथ बच्चे के प्रतिदिन व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है जिससे कमजोर बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। इसके लिए अभिभावकों से सम्पर्क कर उनके बच्चों की प्रगति की जानकारी करायी जायेगी। निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था करायी जायेगी।
 4. शिक्षण अधिगम सामाग्री जनपद स्तर, बी०आर०सी० स्तर व न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण अधिगम सामाग्री मेलों की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षकों के साथ बच्चों के द्वारा भी सामाग्री का निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों को मेलों में ले जाया जायेगा जिससे बच्चों में सृजनात्मक क्षमता उत्पन्न हो।
- (इ) क्षमता संवर्धन सम्बन्धी समस्याएं
1. शैक्षिक निरीक्षक/पर्यवेक्षण में कमी प्रायः देखा जा रहा है कि स०बे०शि० अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए डामट, जिला समन्वयक, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक द्वारा विद्यालयों का समय समय पर श्रेणीकरण किया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। शिक्षकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर अभियान चलाया जायेगा।

2. शिक्षकों की व्यक्तित्व व क्षमता में कमी शिक्षकों के व्यक्तित्व व क्षमता में वृद्धि करने हेतु विषयवार प्रशिक्षण कराये जायेंगे। उनके विद्यालयों में डायट मेन्टर, जिला समन्वयक, बी०आर०सी० समन्वयक, एन०पी०आर०सी० समन्वयक व अन्य विषय विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा आदर्श पाठ प्रस्तुत कराया जायेगा। अध्यापकों की जनपद स्तर पर प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी व पुरस्कार वितरित किये जायेंगे।
3. अच्छा कार्य करने वाले विद्यालयों को पुरस्कार दिया जाये जनपद व विकास खण्ड स्तर पर श्रेष्ठ विद्यालयों को पैरामीटर के आधार पुरस्कार दिया जायेगा।

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार—

जनपद में कुल 442 ग्राम/ मजरे बस्ती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।।। तथा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी बस्तियों को विद्यालय/ ए0 आई0 ई0 द्वारा प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा से सेवित किया जा चुका है। जनपद में वर्तमान में कोई भी बढ़ती असेवित नहीं है। अतः जनपद में नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा नवीन प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा की व्यवस्था :-

प्राथमिक विद्यालयों में स्थापना होते समय एक सहायक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मित्र के चयन में योग्य अधिक योग्य अभ्यर्थी को वीरयता दी जायेगी। भवन निर्माण तक ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा विद्यालय स्थापित होने पर अस्थाई पठन की व्यवस्था कराई जायेगी। अध्यापक तथा ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से शत प्रतिशत छात्र नामांकन कराकर उन्हें विद्यालय में शिक्षा पूर्ण करने हेतु रोकने की व्यवस्था की जायेगी।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक प्रस्तावित हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक विषय अध्यापक तथा एक विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति का प्राविधान रखा गया है। नवीन स्थापित विद्यालय में अनुभवी अध्यापकों का चयन कराने में वरीयता दिया

जया। अध्यापकों / शिक्षा मित्रों के चयन पर 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों के चयन को वरीयता प्रदान किया जायेगा।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा :-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को कंय किया जायेगा - मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, आलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायरयुक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय कय समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा:-

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को इस धनराशि से जिन सामग्रियों को कय करना होगा वे इस प्रकार हैं- मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बॉसुरी आदि) कीड़ा

सामग्री (कूटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लासरूप टीचिंग मैटेरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब ज्ञान कोष, शब्दकोष, टू इन वन, आदि-आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। इनका भी क्रय जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराया जायेगा।

पेयजल, शौचालय एवं चहार दीवारी :-

विद्यालय भवन का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित उपलब्ध स्थल पर कराया जायेगा। यह प्रयास रहेगा कि विद्यालयों की स्थापना आबादी से दूर शुद्ध वातावरण में तथा छायादार वृक्षों के सन्निकट कराया जायेगा। इण्डिया मार्का टू हैण्ड पम्प प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। इनके रख रखाव तथा मरम्मत आदि के व्यय हेतु विद्यालय को धन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय के सन्निकट छात्र एवं छात्राओं को अलग-अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसे स्वच्छ रखने हेतु विद्यालय को वर्ष में कुछ धन का प्रस्ताव कर दिया जायेगा। प्रत्येक नवीन विद्यालय की अपनी एक चहार दीवारी होगी जिसके निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था :-

विद्यालय भवन, शौचालय तथा बाउन्ड्री का निर्माण का दायित्व तथा ग्राम शिक्षा समिति का होगा। समस्त सदस्य निर्माण गुणवत्ता की जांच समय-समय पर करते रहेंगे। तकनीकी जानकारी हेतु विकास खण्डों पर उपलब्ध अवर अभियन्ता का सहयोग मिलता रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान से

भवन शौचालय तथा चहारदीवारी का धन एक साथ विद्यालयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। अवसर अभियन्ताओं को अनेक सहयोग के लिये अनेक सहयोग के लिये मानदेय की भी व्यवस्था की जा रही है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लागत में कमी लाने की व्यवस्था :-

नवीन प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण यथा सम्भव प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जाय जिससे चहार दीवारी की लागत में कमी आयेगी और यह धन विद्यालय के साज सज्जा तथा सौन्दर्यीकरण में व्यय किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से ऐसे अभिभावकों या सम्भ्रान्त नागरिकों को प्रेरित किया जाय जो विद्यालय में सहयोग से ऐसे अभिभावकों या सम्भ्रान्त नागरिकों को प्रेरित किया जाय जो विद्यालय में सहयोग देने योग्य हों इस प्रकार से प्राप्त धन का उपयोग विद्यालय की साज सज्जा में खेलकूद उपकरण क्रय करने में तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण में किया जायेगा।

निर्माण अथवा बाउन्ड्री निर्माण में ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से श्रमदान कराकर मजदूरी पर होने वाले व्यय पर बचत की जा सकती है और इस धन का उपयोग विद्यालय के रख-रखाव में किया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से विद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था करायी जा सकती है। जिसमें शिक्षा के साथ साथ छात्रों का बौद्धिक स्तर और अधिक विकसित हो सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रेरित किया जाय जो अपने या अपने किसी पूर्वज के नाम से विद्यालय परिसर में किसी निर्माण कार्य की स्थापना करना चाहते हैं।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :-

राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक शिक्षा क्षेत्र का बस्तीवार सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा सेवित असेवित बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अल्प संख्यकों के साथ गोष्ठी, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के साथ गोष्ठी, पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के साथ गोष्ठी, क्षेत्र स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों की गोष्ठी करके सम्बन्धित क्षेत्रों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में 1.5 किमी की दूरी तथा 300 जनसंख्या और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 3 किमी की दूरी तथा 800 जन संख्या के मानक को ध्यान में रखा गया है। आवश्यकता अनुसार केवल उतने ही नये विद्यालयों के खोलने का प्रस्ताव किया गया है। जिससे तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण हेतु रूपये दो लाख का प्राविधान सर्व शिक्षा के पर्सपेक्टिव एवं बजट में कर दिया गया है।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण :-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूरे जनपद में भवन निर्माण अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शैचालय तथा चहार दीवारी निर्माण इत्यादि कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए एक तकनीकी प्रकोष्ठ की परिकल्पना की गयी है जिसमें पांच अवर अभियन्ता तथा एक सहायक अभियन्ता (तकनीकी) रखा जायेगा। यह प्राकोष्ठ आवश्यकतानुसार योजनान्तर्गत निर्मित समस्त कार्यों का निरीक्षण

तथा गुणवत्ता की जांच करता रहेगा। एवं अच्छे निर्माण करने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी को समय समय पर तकनीकी परामर्श भी देता रहेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर ली गयी है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय-7

(सर्व शिक्षा अभियान)

शिक्षा की पहुँच का विस्तार-2

शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए शिक्षा गारंटी योजना / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या को 6-8 व 9-14 वर्ग के दो समूहों में आंकलित किया गया है। इन बच्चों में बालाकों की संख्या पृथक-पृथक ज्ञात की गई। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो काम काजी है, पंतुक व्यवसाय में माता-पिता की सहायता करते है। अथवा सड़क छाप बच्चे है।

पिछले वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापी करण करने के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ विशेष एवं अतिरिक्त प्रयास भी किये हैं। जिसमें 6-11 बय वर्ग के उन बच्चों को जो विद्यालयों में नहीं जा पाते है या कामकाजी है अथवा घरेलू परिस्थितियों के कारण बीच में ही विद्यालय छोड देते है उनको प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की शुरुवात की गयी। इस शिक्षा के अन्तर्गत भी बागिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के चारों विकास खण्डों में यह परियोजनाएं संचालित है, विकास खण्ड-विसरख, दनकौर, दादरी एवं जेवर में जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत 75 विद्या केन्द्र एवं 75 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित है।

जिसे वर्ष 2005-06 से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय - 7

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति वर्ष 2003-04

6-8 आयु वर्ग

9-14 आयु वर्ग

क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	विसरख	186	173	359	260	267	527
2.	दादरी	145	104	249	126	136	262
3.	दनकौर	377	265	642	343	340	683
4.	जेवर	972	862	1834	709	643	1352
	योग	1680	1404	3084	1438	1386	2824

(श्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय)

6-8 वय वर्ष के स्कूल न जाने वाले बालिकाओं को शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत कक्षा -1 से 2 तक की शिक्षा देकर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा -3 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। ई० जी० एस० केन्द्र का यह स्वरूप औपचारिक विद्यालय की भांति होगा।

प्रथम चरण में 38 ई० जी० एस० केन्द्र खोलने प्रस्तावित हैं तथा द्वितीय चरण में 37 केन्द्र प्रस्तावित है। जिनका विवरण आगे दिया जायेगा।

जनपद में शैक्षिक संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था, डी० पी० ई० पी० के द्वारा संचालित बै० / शि० केन्द्रों के संचालन के बावजूद 9-14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की पर्याप्त संख्या है, जिनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बै० / शि० केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था करनी है ए०आई०ई० हेतु कुल 16 केन्द्र खोलने का सर्वशिक्षा अभियान में प्रावधान किया जा रहा है।

प्रथम चरण में 08 बै/शि० केन्द्र खोलने प्रस्तावित है तथा द्वितीय चरण में 67 केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है। जिनका विवरण आगे दिया जायेगा।

अनौपचारिक शिक्षा:— प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दृष्टि से आशा के अनुरूप उपलब्धि हांसिल नहीं कर पाया।

स्कूल से बाहर बच्चों को वै० शि० द्वारा ब्रिज कोर्स करने के लिए नियोजन किया जा रहा है।

समाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिदृश्य जिससे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट सामाजिक वर्गों की पहचान हो सके।

जनपद गौतमबुद्ध नगर का क्षेत्र विशेष के हिसाब से उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके आधार पर शिक्षा गारंटी योजना एवं वै० शि० तथा नवाचार शिक्षा की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर देने पर विचार किया जा रहा है।

जनपद के विकास खण्ड विसरख में विशिष्ट औद्योगिक नगरी नौएडा एवं बहत्तर नौएडा होने के कारण यहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ एवं उनमें रहने वाले काम काजी बच्चें पर्याप्त संख्या में है। जो विभिन्न कारणों से विद्यालयों से बंचित है इन बच्चों को शिक्षा व्यवस्था सुलभ कराने हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है।

जनपद के विकास खण्ड दनकौर एवं जेवर में इट भट्टा अधिक होने के कारण वर्ष में लगभग छः माह तक श्रमिक कार्य करते हैं जिनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रत्येक वर्ष कोर्स एवं व्यवसायिक शिक्षा शिविर लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

शिक्षा गारंटी योजना:— ई०जी०एस०

इस योजना के अन्तर्गत 6-8 के बच्चों को शिक्षित कराया जायेगा। ऐसे ग्राम बस्ती मजरे / टोले / मोहल्ले जो विद्यालय से 01 कि० मी० की परिधि के बाहर तथा 6-8 वर्ग के 30 बच्चे हों। वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्रों में कक्षा -1 से 2 तक की पढ़ाई होगी।

इन केन्द्रों का संचालन " सर्व शिक्षा अभियान " के आधार चिन्हित स्टेट सोसाइटी उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशांत गंज लखनऊ द्वारा किया जयेगा। इन केन्द्रों पर एक अनुदेशक प्रति केन्द्र प्रस्तावित है।

वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा ए.आई.ई. कार्यक्रम:-

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर कामकाजी तथा बालश्रमिक एवं नवाचार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वै0 शि0 एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/बस्ती/मंजरे/ टोले/ मुहल्ले में 15 बालक/ बालिका शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होंगे वहां पर ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। केन्द्र में 01 अनुदेशक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माइक्रो प्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता:-

- ❖ अनुसूचित जाति क्षेत्र में।
- ❖ ऐसे क्षेत्र जहाँ बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम है ऐसे क्षेत्र जहाँ ड्रप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।
- ❖ ऐसे क्षेत्र जहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, घुमन्तु एवं सतरनाक/ गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।

शिक्षा गारंटी केन्द्र ई0जी0एस0 वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का स्वरूप:-

उपरोक्त असेवित बस्तियों एवं शाला त्यागी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र चरणबद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि में नहीं रखा जायेगा। ये केन्द्र प्रति दिन 04 घण्टे संचालित किये जायेंगे।

अनुदेशक चयन:-

अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहाँ पर शिक्षा गारंटी केन्द्र/वै0 वि0 केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर सम्बंधित न्याय पंचायत के गौव का अर्ह व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाई स्कूल परीक्षा के अंको के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वै० शि० केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित बोर्ड नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की समुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतब/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बन्धित कमत की आयु प्रबंध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सम्बन्धित अनुदेशक हेत प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनाई जायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए 2 अनुदेशक का चयन किया जायेगा जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहाँ पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है चयनित अनुदेशकों में से एक विज्ञान वर्ग का तथा दूसरा कला वर्ग का होगा।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्टर के साथ संलग्न किया जायेगा।

अनुदेशक का प्रशिक्षण:-

अनुदेशकों का तीस प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा बी०आ०सी० पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं सहायक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी०आ० सी० समन्वयक तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू० 1500/- प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

अनुदेशक मानदेय वितरण:-

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का प्रारम्भ होने पर विशेषज्ञ वैसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रू० 1000/- प्रति अनुदेशक प्रतिमाह की दर से सम्बंधित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को बैंक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छः माह की धनराशि अग्रिम रूप से ग्राम शिक्षा समिति के खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वै० शि० केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र एवं जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। यह धनराशि विशेषज्ञ वैसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नगर क्षेत्र के संबन्धित सभासद / प्र० अ० के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात बैंक द्वारा अनुदेशकों को भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण:- शिक्षा गारनटी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का फार्म सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/ बी0आर0सी0 समन्वयक/ न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र जिला समन्वयक वै0 शि0/ विशेषज्ञ वेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट के अधिकारियों द्वारा अनुदेशकों की वार्षिक बैठकें भी ली जायेंगी। जिसमें सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला समन्वयक वै0 शि0 भी समय-समय पर इन बैठकों में अनश्रवण करेंगे।

निष्ठास्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे तथा न केवल ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा अपितु विकास खण्ड स्तरीय समितियों के पदाधिकारियों को अपनी भावनाओं से अवगत करायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय-समय पर अपने सुझाव अनुदेशक/अनुदेशिका को देगी। डायट में डी.आर. यू. प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ सीमा अभिकर्मी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा जिससे सम्पूर्ण पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री:- प्रत्येक केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षा सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि विशेषज्ञ वेसिक अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार कय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी विशेषज्ञ वेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद रू0845/- प्राथमिक तथा रू0 1200/- उच्च प्राथमिक से किया जायेगा। शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/ जनपदीय प्रबंधन हेतु कय किया

जायेगा शिक्षा गारंटी वै० शि० केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपभोग में लाई जायेंगी।

छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन:- अनुदेशकों द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्त मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वै० शि० केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का शीघ्र औपचारिक विद्यालय में मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय वह प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उसके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र अति शीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते रहें। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति / विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अध्ययन एवं अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिवक्तों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा।

केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चे जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी, वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ० प्र० द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्र० आ० द्वारा करायी जायेगी।

प्रबन्धन लागत:-

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्रबन्धन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम लागत निम्नवत् प्रस्तावित है।

80 - 100 केन्द्रों के मध्य	:	2.50 लाख प्रति वर्ष
50 - 80 केन्द्रों के मध्य	:	2.00 लाख प्रति वर्ष
25 - 50 केन्द्रों के मध्य	:	1.50 लाख प्रति वर्ष
25 केन्द्रों से कम	:	रु० 100 प्रति छात्र-छात्रा प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन / क्षेत्र आधारित कार्स:-

ब्रिज कोर्स / क्षेत्र आधारित शिविर सड़क / प्लेटफार्म, मलीन बस्तियों, दुकानों, घुमन्तु बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगीरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों को जो बाल श्रमिक खतरनाक एवं गैर खतरनाक उद्योगों में लगे हैं। उनके लिए ब्रिजकोर्स, / ग्रीष्म कालीन शिविर संचालित किये जायेंगे। प्रत्येक ब्रिजकोर्स / शिविरों में 9-14 वर्ग के न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने, पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। इनमें प्रस्ताव निम्न है :-

वर्ष	2002-03		3-4		4-5		5-6		6-7	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
ब्रिज कोर्स	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
ए0आई0ई0	16	640	16	640	16	640	16	640	16	640
एन0पी0आर0सी0 ब्रिज कोर्स	43	2150	43	2150	43	2125	43	2150	43	2150

इसके अतिरिक्त जनपद में 43 ब्रिज कोर्स शिविर न्यायपंचायत स्तर पर गैर आवासीय संचालित किये जाने हैं। जिनके 6-14 वर्ष वर्ग के 40-50 बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित है को शिक्षा प्रदान की जायेगी। तथा इसके उपरान्त इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा।

गैर आवासीय ब्रिज कोर्स शिविरों में दो अनुदेशकों की तैनाती की जायेगी जिनकी न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल होगी। इसके लिए स्थानीय व्यक्ति का चयन किया जायेगा। अनुदेशकों के चयन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी समन्वयक वी0आर0सी0 तथा सम्बंधित न्याय पंचायत का समन्वयक होगा। उक्त समिति द्वारा चयनित अनुदेशकों की सूची

किये गये थे इनमें से 3800 बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में 31 अगस्त 2003 तक नामांकित कराया जा चुका है, शेष 218 बच्चों को इन ब्रिज कोर्स तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों के अध्ययन से विद्यालयों मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। निर्धारित मानकों के अर्न्तगत ब्रिजकोर्स/शिविरों के लिए 01 केयर टेकर 02 पैरा टीचर, 01 रसोइया तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अर्न्तगत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर अनुदेशकों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राईमरी एवं अपर प्राईमरी की भौति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज-सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिजकोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय में स्थापित हो।

ब्रिजकोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र मुख्यालयों में किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाय तो उस स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।

ब्रिजकोर्स शिविरों की अवधि 04 माह से 18 माह तक रखी जायेगी। इस हेतु रू0 3000/- प्रति छात्र छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन:-

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालांतर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी। इस समिति का गठन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा :-

जो निम्न प्रकार होगी:-

1. जिलाधिकारी : अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी : उपाध्यक्ष
3. विशेषज्ञ वे०शि०अ० / जि०बे०शि०अ० : सदस्य सचिव
4. जिला समन्वय बै० शि० : सदस्य
5. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान: सदस्य
6. जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी : सदस्य
7. जिला पंचायत राज अधिकारी : सदस्य
8. वित्त एवं लेखाधिकारी : सदस्य
9. स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि : सदस्य

(स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा)

जनपद में योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका:--

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी / वै०शि० योजना के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्न लिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित हैं। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइको प्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।

- ❖ कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
- ❖ अनुदेशकों का चयन करना।
- ❖ केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
- ❖ केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु शिक्षण सामाग्री का नियमानुसार क्रय कर अनुदेशों के उपलब्ध कराना।
- ❖ अनुदेशकों को केन्द्र संचालन का दायित्व सौपना।
- ❖ अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबंधन एवं प्रतिदिन निरीक्षण करना।

- ❖ केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातर प्रोत्साहित करना।
- ❖ नियमित रूप से अनुदेशक के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका:—

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकास खण्ड स्तरीय समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है।

- ❖ ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रो प्लानिंग कराना, संकलित करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।
- ❖ कलस्टर रिसेर्स पर्सन / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायकता से केन्द्रों / शिविरों का क्रमशः एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण / अनुक्षण की व्यवस्था करना।
- ❖ जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व:—

जनपद में सफल पी0जी0एस0 और ए0आई0एफ0 हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति के निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित है :-

- शिक्षा गारंटी / बै0 शि0 केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर / विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।
- केन्द्र / ब्रिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन शिविर के प्रस्तावों को स्टेट सोसायटी को प्रस्तुत करना।
- कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराना।

- अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्यक्रमों का संचालन करना।
- कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशलाओं का आयोजन करना।
- स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गई मदवार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालानार्थ अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना।

विकलांग बच्चों के लिए वै शि0 केन्द्र :-

जनपद गौतमबुद्ध नगर में न पढ़ने वाले विकलांग बच्चों की संख्या मात्र 166 है। इन बच्चों का विकास खण्ड वार चिन्हाकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई0जी0एस0 एवं ए0 आई0 ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

विकलांग बच्चों के लिए वै0 शि0 केन्द्र पर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्राविधान है। इसमें न्यूनतम छात्र संख्या के 15 से कम भी किया जाने का प्रस्ताव है। जिस ग्राम / बस्ती / मजरे टोले / मुहल्ले में विकलांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्र संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिया जाना प्रस्तावित है। कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रह जाये इस बात का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। चलने में यदि असमर्थ है तो या तो उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगा अथवा साइकिल / वैशाखी उपकरणों का आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के लिए बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :-

जिन ग्राम / बस्ती / मजरे / टोले / मुहल्ले में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है ऐसे ग्रामों में बालिका वै0 शि0 केन्द्र खोले जायेगे तथा उस केन्द्र पर हर सम्भव महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कला जत्था, महिला मंगल दल, माँ बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोग से चेतन

बालिकाओं के लिए बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :-

जिन ग्राम / बस्ती / मजरे / टोले / मुहल्ले में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है ऐसे ग्रामों में बालिका वै० शि० केन्द्र खोले जायेंगे तथा उस केन्द्र पर हर सम्भव महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कला जत्था, महिला मंगल दल, माँ बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोग से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा में रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर ब्लकों में बालिका शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यकों के लिए वै० शि० केन्द्र :-

जनपद गौतमबुद्ध में समुदाय के 6-14 वय वर्ग के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम में मकतब/मदरसों में वै० शि० केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों की संख्या:-

क०सं०	विकास खण्ड का नाम	ए०एस०		ई०जी०एस०		ए०आई०ई०		ब्रिजकोर्स	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	बिसरख	15	600	19	760	4	160	9	450
2.	दादरी	8	320	18	720	4	160	6	300
3.	दनकौर	31	1240	20	800	4	160	12	600
4.	जेवर	21	840	18	720	4	160	11	550

(श्रोत - विशेष बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय)

विकास खण्ड बार प्रस्तावित ई०जी०एस० केन्द्रों के स्थलों का नाम :- (डी०पी०ई०पी०)

प्रथम चरण

6. सहेलापुर (शाहपुर)
 7. रसूलपुर नवादा (छिजारसी)
 8. खेडा दजाना (याकूबपुर)
 9. इलावास (याकूबपुर)
2. विकास खण्ड – दादरी
1. रवण्डेरा (मिलक खण्डेरा)
 2. मथुरापुर (चक सैनपुर)
 3. हजरत पुर (रामगढ)
 4. मडैया चक सैनपुर (कैमराला)
 5. रधुवर गढी (जारचा)
 6. झुम्मनपुरा (खण्डैडा)
 7. भूड (धूम मानिकपुर)
 8. जोल गढी (धोडी – बछेडा)
 9. छोलस की मडैया (छौलस)
3. विकास खण्ड – दनकौर
1. कादरपुर
 2. डेरी खूवन (मंजू खेडा)
 3. शेरपुर (ककोड़ देहात)
 4. राजपुर (अमरपुर)
 5. नटमडैया (कासना)
 6. रामपुर वांगर (भिर्जापुर)
 7. कमालपुर (मोहम्मदपुर केहरी)
 8. पंचायतन
 9. कुटवाया (चचूरा)
 10. चीती नगला (चीती)
 11. आजमपुरगढी

4. विकासखण्ड – जेवर

1. डसौली (इब्राहिम पुर डसौली)
2. धनपुरा (सिरौली बांगर)
3. सिरसा (सिरसा मॉचीपुर)
4. अलाबलपुर
5. पारोही (रोही)
6. शमशम नगर (भगवन्तपुर छालंगा)
7. लगला बेगमवाद (दयानतपुर)
8. मोमरा (गोदिला)
9. मलीन बस्ती (जहॉगीर पुर) द्वितीय चरण में प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या

–37

द्वितीय चरण हेतु प्रस्तावित असेवित ग्राम / मजरे ई0 जी0 एस0 केन्द्रो हेतु

विकासखण्ड बिसरख :-

1. मांजरा मौजमपुर (कचहैडा)
2. मिलक (बादलपुर)
3. नट भडैया (खोदना खुर्द)
4. रामपुर (साकी रामपुर)
5. चक मंगरौली – दोस्तपुर मंगरौली
6. नौरंगाबाद खादर – छलेरा
7. भनौता

विकास खण्ड – दादरी,

1. रोमश गढी (सलारपुर काल)
2. धनपुरा (नंगला चमरू)
3. नवादा (किरौड़ी चक सैनपुर)

विकास खण्ड जेवर

1. मंगला रुरस्तमपुर (रुरस्तमपुर)
2. नगला पदम (सिरसा)
3. करौली बांगर (सिरसा)
4. रूलगढी (काली गढी)
5. पूरन नागर (भगवंतपुर छालंगा)
6. नगला बंजरा (मंडलपुर)
7. खेडा (तिरथली)
8. नगला जानू (कुरैब)
9. नगला कढबा (माचड़)
10. सिरसा (सिरसा)

विकास खण्ड – दनकौर

1. सुहेडी मोइउद्दीन पुर (सीलमपुर बांगर)
2. गुनपुरा (अट्टा गुजरान)
3. बेला कलां (अट्टा फतहपुर)
4. सक्का (भट्टा)
5. रसूलपुर इकबैल (चौकी)
6. मडेया धनौरी (धनौरी)
7. कनरसा (कनारसी)
8. राजपुर (नवादा)
9. पौबारी (दायूपुर)
10. झालडा (तालडा)
11. रघुनाथपुर (पंचायतन)
12. मोतीपुर (लुक्सर)
13. श्यामपुर (जढा)
14. रोलितलापुर (चूहाड़पुर खादर)

14. रोलितलापुर (चूहाडपुर खादर)
15. गढी समसपुर (चूहाडपुर खादर)
16. कोडली खादर (बादौली)
17. नंगला केसरी (मौहम्मदपुर)

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अधावधिकरण:-

माइक्रोप्लानिंग के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाता है। अण्डर ऐज बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा। ताकि बांछित सूचना प्राप्त हो सके। प्रतिवर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रुपये 50,000 की वित्तीय व्यवस्था की गई है।

माइक्रोप्लानिंग के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के लगभग 1175 बच्चे विद्यालय न जाने वाले चिन्हित किये गये। आगामी वर्षों में आंकड़ों के वार्षिक अद्यजन के समय इस सूचना का अंकल भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रास आउट किया गया है।

ई0जी0 एस0 / बैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता:-

बैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान किया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था

स्थापित की जायेगी। जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापित कर स्वयं सेवी संगठनों के सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र / प्रस्ताव डेस्ट टॉप एप्रेजल तथा फील्ड एप्रेजल कराया जायेगा। वेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का एप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वै0शि0 एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिलाशिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0 प0 नि0/466/2001-2002 दिनांक 15 जून 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वै0शि0 एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। संदर्भित कार्यालय जाय की प्रति परिशिष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। संदर्भित कार्यालय जाय की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0/वै0शि0 एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/539/2001-2002 दिनांक 7 जून 2001 क्षरा उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित की जा चुकी है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0 आई0 ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा शिक्षा गारंटी योजना, बैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन बैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में परिवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुभव रखते हैं उनका भी सहयोग ई0 जी0 एस0 शिक्षा गारंटी योजना, बैकल्पिक शिक्षा तथा नवाचार शिक्षा योजना की क्षमता विकास के लिये जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों / सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही होगी ?

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा में अब तक यह देखा गया है कि बालक बालिकाओं का पंजीकरण तो विद्यालयों में हो जाता है परन्तु कतिपय कारणों से बालक बालिका कक्षा-8 पास करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे ।

सारणी 8.1

1. विद्यालय भवन का पुनः निर्माण : जनपद गौतमबुद्धनगर 30 प्रा० वि० जर्जर स्थिति में है जिनमें शिक्षण कार्य कराना सुरक्षित नहीं है इनका निर्माण पुनः एस.एस.ए. से कराया जायेगा । जनपद में 10 उ० प्रा० वि० जर्जर स्थिति में है जिनका पुनः निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कराया जायेगा ।

जर्जर/पुनः निर्माण प्राथमिक/ उ०प्रा० वि० (वर्षवार)

सारणी -8.1

विद्यालय का प्रकार वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल योग
प्रा०वि०	0	0	10	10	10	30
उ०प्रा०वि०	0	2	5	5	0	12

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गाववार विस्तृत आकड़ प्राप्त हो गए हैं। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

पुनः निर्माण हेतु जर्जर विद्यालयों की विकासक्षेत्र वार संख्या :-

क- प्राथमिक विद्यालय

क्रम सं०	विकासक्षेत्र	जर्जर विद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1	विसरख	7	1972 से पूर्व
2	दादरी	5	1972 से पूर्व
3	दनकौर	8	1972 से पूर्व
4	ज्वर	10	1972 से पूर्व
	योग	30	

ख- उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्रम सं०	विकासक्षेत्र	जर्जर विद्यालयों की संख्या	स्थापना वर्ष
1	विसरख	2	1970 से पूर्व
2	दादरी	3	1970 से पूर्व
3	दनकौर	3	1970 से पूर्व
4	ज्वर	4	1970 से पूर्व
	योग	12	

2. अतिरिक्त कक्षा कक्ष: जनपद में कुल 469 प्रा० वि० है। वर्तमान में सभी प्रा० वि० में कुल 1308 कक्षा है तथा 40 छात्रों के लिए एक कक्षा कक्ष की आवश्यकता को मानक मानते हुए 230 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की और आवश्यकता है तथा 30 प्रा० वि० में 10 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है।

अतिरिक्त कक्षा -कक्ष प्रा०/उ०प्रा० विद्यालय (वर्षवार)

सारणी-8.2

वर्ष 2005-06 में⁰⁴..... प्राथमिक एवं⁰⁴..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	88	
2005-06	40	
2006-07	—	
योग	128	

कुल लक्ष्य 128 का है।

आवश्यकता है तथा उ० प्र० वि० में 10 अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं की आवश्यकता है।

अतिरिक्त कक्षा –कक्ष प्रा०/उ०प्रा० विद्यालय (वर्षवार)

सारणी-8.2

विद्यालय का प्रकार वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल योग
प्रा०वि०	0	0	110	70	50	230
उ०प्रा०वि०	12	13	10	0	0	35

3. शौचालय : जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 80 तथा उ० प्र० विद्यालयों में 31 शौचालयों की आवश्यकता है।

शौचालय प्रा०वि०/उ०प्रा०वि (वर्षवार)

सारणी-8.3

विद्यालय का प्रकार वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल योग
प्रा०वि०	0	0	40	40	0	80
उ०प्रा०वि०	10	5	21	10	0	46

4. हैण्डपम्प : जनपद के सभी प्राथमिक व उ०प्रा० विद्यालयों में हैण्डपम्प है अतः जनपद में हैण्डपम्प की आवश्यकता नहीं है।

5. अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्रा की आवश्यकता: वर्तमान में जनपद गौतमबुद्धनगर के 469 प्रा०वि० में 1416 शिक्षक 153 शिक्षा मित्र कार्यरत है। 1:40 के अनुपात के आधार पर जनपद में अभी 203 शिक्षकों की

आवश्यकता है इनमें से 102 शिक्षक व 101 शिक्षा मित्र रखे जाने का प्रस्ताव एस0एस0ए0 में किया जा रहा है।

आवश्यक शिक्षक प्रा0/उ0प्रा0वि0 (वर्षवार)

सारणी 8.5

विद्यालय का प्रकार वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल योग
प्रा0वि0	0	0	102	19	24	145
उ0प्रा0वि0	0	0	265	285	0	550

आवश्यक शिक्षा मित्र प्रा0/उ0प्रा0वि0 (वर्षवार)

सारणी 8.5ए

विद्यालय का प्रकार वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल योग
प्रा0वि0	37		318	18	23	396

विस्तृत विवरण – पेज संख्या –51 (सारणी 6.3 देखें)

6. विद्यालय रख रखाव हेतु अनुदान : विद्यालय रख रखाव हेतु प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष 5000 रूपये अनुदान देने का प्रस्ताव कार्य योजना में किया जा रहा है। 2004 तक प्रा0 वि0 को यह अनुदान डी0पी0ई0पी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसके बाद यह अनुदान एस0एस0ए0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उ0प्रा0वि0 को यह अनुदान प्रारम्भ से ही एस0एस0ए0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस धन का उपयोग वी0ई0सी0 द्वारा विद्यालय के लिए आवश्यक, टाट पट्टी फर्नीचर, श्यामपट्ट, सेफ सन्दूक व शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु किया जायेगा।

Repair & Maintenance प्रा०/उ०प्रा०वि० (वर्षवार)

सारणी-8.6

विद्यालय का प्रकार वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल योग
प्रा०वि०	0	427	427	469	469	1792
उ०प्रा०वि०	41	41	94	151	151	396

7. विद्यालय विकास अनुदान : विद्यालय विकास अनुदान के रूप में प्रति विद्यालय प्रति वर्ष 2000 रूपये विद्यालय की रंगाई व पुताई के लिए उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव कार्य योजना में किया गया है प्रा० वि० के लिए वर्ष 2003 तक यह अनुदान डी०पी०ई०पी० के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसके बाद एस्०एस०ए० द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

प्राथमिक/उ०प्रा०वि० (वर्षवार)

विद्यालय का प्रकार वर्ष	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			कुल योग	
	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०
प्रा०वि०	0	0	0	20	0	20	469	0	469	469	0	469	469	0	469	1427	0
उ०प्रा०वि०	41	0	41	134	0	134	151	63	214	151	63	214	151	63	214	628	189

सारणी - 6.3

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षको की वर्तमान स्थिति में आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

गौतमबुद्धनगर

क्र०स०	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित वच्चे	वर्तमान शिक्षक		योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक अन्तर्गत एस०एस०ए०	शिक्षक	शिक्षामित्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2002-03	71965	1374	153	1527	1799	272	0	
2.	2003-04	72599	1416	195	1611	1814	203	102	101
3.	2004-05	74051	1518	296	1814	1851	37	19	18
4.	2005-06	75902	1537	314	1851	1898	47	24	23
5.	2006-07	77420	1561	337	1898	1936	38	19	19

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षको की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षको की आवश्यकता

सारणी 6.6

क्र०स०	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
1	2	3	4	5	6	7
1.	2002-03	94	53	470	205	265
2.	2003-04	151	57	755	470	285
3.	2004-05	151	0	755	755	0
4.	2005-06	151	0	755	755	0
5.	2006-07	157	0	755	755	0

बालिका शिक्षा:

सभी जन समुदाय के शिक्षित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी बचन बद्धता व्यक्त की है। संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाये ।

संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेद भाव, धर्म एवं जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं ने संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचन बद्धता का समर्थन किया है। एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आरंभ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनितियों के समय के साथ बदलाव लाने के लिये एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं धारण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसके लिए विशेष सहायक सेवाएँ, समयबद्ध लक्ष्य एवं सुचारु अनुश्रवण होगा ।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण जटिल है। इनमें संरचनात्मक कारण जैसे वस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणायें और अन्ध विश्वास जटिल कारण है बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग न होना ही उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है, जबकि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नहीं करा पते है। और न ही उसकी विशेषताओं को उभारते है, कढ़ाई शादी त्योहार मेलों के अवसर पर भी इनको घर पर ही रोक लिया जाता है। जिससे के स्कूल की उपस्थिति में भारी कमी हो जाती है ।

1. जागरूकता क्रिया कलापों के द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण जाये ।
2. जेन्डर संवेदन बनाना जिससे समाज बालिकाओं, की शिक्षा को समानता और सहजता से समझ सके ।
3. महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना ।
4. शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव आधारित क्रिया कलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण माड्यल विकसित करना ।
5. ई0सी0सी0ई0 तथा अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना ।
6. महिला कार्यक्रम, महिलाओं को शिक्षा के लिये गठित करना ।
7. प्राथमिक शिक्षा से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोड़ रखने की रणनीति से कार्य करना । कार्यानुभाव पर आधारित शिक्षा को महत्व देना ।

कार्यक्रम :

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना प्राथमिक शिक्षा की सामुदायिक स्वामित्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सामाजिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।

ग्राम शिक्षा समिति (वी0ई0सी0) में से कम से कम एक महिला सदस्यों के होने का प्रावधान किया गया है ।

बालिकाओं की शिक्षा के लिये सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी :

1. बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना ।
2. महिला समूहों का संगठन एवं महिला समस्या के साथ साथ उनका समन्वयन ।
3. ग्राम शिक्षा समिति, माता शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ का गठन ।
4. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ।
5. बालिकाओं की आवश्यकता के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को बढ़ाना।

मीना अभियान :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक बचनबद्धता के विकास के लिये मीना कैम्पेन नामक एक विशिष्ट योजना का आयोजन किया गया है। यह यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार भव्य हास्य का प्रयोग इस योजना के किया जाता है ।

मौं बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद :

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से मौं बेटी मेला और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है। इस मेलों का मुख्य उद्देश्य है :

1. बालिकाओं की शिक्षा के विषय में जागरूकता बढ़ाना और इसके लिए आवश्यकता सामग्री बांटना ।
2. बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में महिलाओं को शिक्षित करना ।
3. शिक्षकों अभिभावकों के बीच एक क्रियाशील सम्बन्ध की स्थापना करना ।
4. बालिकाओं द्वारा अनुमन्य की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करना ।

5. बेटे और बेटियों के प्रति लोगों के विचार को जानने के लिये जेण्डर आधारित बतों का आयोजन ।
6. वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर वार्मा में आयोजन कराना एवं उपस्थित समूह से इस प्रणाली को व्यक्त की गई आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी और प्रभावकारी बनने पर वार्तालाप करना ।

समानता के लिए शिक्षा:

महिला के संगठन के अतिरिक्त महिला समाख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्ग के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। महिला समाख्या के कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदायों जैसे महिलाओं के साथ मिलकर विकसित किये गये हैं।

इन प्रयासों से 6-14 आयु वर्ग के बालिकाओं एवं बालकों के लिये किशोरी केन्द्र, महिला शिक्षण केन्द्र खोलना सम्मिलित है। महिला समाख्या का शिक्षा के प्रति निम्न दृष्टिकोण है :

1. महिलाओं की शैक्षिक प्राथमिकताओं का आदर ।
2. व्यक्तिगत विविधता के आधार एवं सोच विचार के लिए समय ।
3. समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम में महिला संघों की भागीदारी के लिए समर्थ बनाना ।
4. शैक्षिक प्रतियोगिता में जेण्डर संवेदनशीलता ।
5. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना ।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र:

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित किया जायेगा जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय में नहीं जा पा रही हैं।

ब्रिजकोर्स व ग्रीष्मकालीन शिविर लगाये जायेग ताकि विद्यालयों में बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेषतमः दिया जायेगा । वे सभी प्रयास किये जायेगें जो ठहराव वाली अध्याय से वर्णित किये गये है ।

शिशु शिक्षा केन्द्र

शिशु शिक्षा केन्द्र का लक्ष्य बडे भाई बहनों पर है । बडे बच्चों का को प्राथमिक शिक्षा और वर्ष के बच्चे की स्कूल में उत्साही पैकेज प्रदान किया जायेगा । जिन बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख का उत्तरदायित्व है वे इसी कारण स्कूल से बाहर रहती है शिशु शिक्षा केन्द्र द्वारा दोनों आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ जोड़ा जाता है ।

प्रहर पाठशाला

प्रहर पाठशाला एक रणनीति है जो मुख्यतः 1 आयु वर्ग से अधिक बालिकाओं के लिए है जिन्होंने विद्यालयों में जाना आरम्भ नहीं किया है या जो स्कूल छोड़ चुके हैं 9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये 15 बालिकाओं के साथ एक प्रहर पाठशाला को आरम्भ किया जा सकता है ।

मकतब / मदरसा

मुस्लिम बालिकाओं जो अधिक संख्या में स्कूल से वाहर है उनके लिए मकतब/ मदरसों के सशक्तीकरण की नीति तैयार की गई है । यह स्पष्ट है कि सामुदायिक रूप से मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तक के अध्ययन पर ही आधारित है इस मुख्य कारण से बालिकायें औपचारिक स्कूलों बाहर रही है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मदरसों के वातावरण में बालिकाओं एवं शिक्षको को औपचारिक शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, साथ साथ औपचारिक पाठ्यक्रम को भी मदरसों / मकतबों में प्रारम्भ करना ।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ ऐसे गांव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गांव की 15 –20 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा । ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे ।

महिला प्रेरक दल ऐसे गाँव / मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर हों वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा । महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर बे०शि० केन्द्र / विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दवाब बनाने हेतु प्रयास करेंगे ।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे । ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे विद्यालय में कम उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी दूरी तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दवाब बनाया जायेगा ।

बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रति माह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा । उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा ।

माह में 14 दिन से अधिक उपस्थिति हरा निशान

माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान
माह में 6 दिन या उससे कम ही सम्मिलित लाल निशान
बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों के लिये निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह
निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों से चर्चा किया
जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेंगे।

सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के माध्यम से अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धिक स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गांव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त वर्गों की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों को निः शुल्क पाठ्य पुस्तक एवं समस्त छात्र/छात्राओं को अनुपूरक शैक्षिक सामग्री निम्न विवरण के अनुसार प्रदान की जायेगी।

प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गांव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा ।

निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त वर्गों की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के बालकों को निः शुल्क पाठ्य पुस्तक एवं समस्त छात्र/छात्राओं को अनुपूरक शैक्षिक सामग्री निम्न विवरण के अनुसार प्रदान की जायेगी ।

प्राथमिक/उ०प्रा०वि (वर्षवार)

सारणी

विद्यालय का प्रकार वर्ष	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०	योग	परि०	स० प्रा०	योग
प्रा०वि०	0	0	0	0	0	0	54468	0	54468	59263	0	59263	61405	0	61405
उ०प्रा०वि०	3204	0	3204	3765	0	3765	5125	40036	45161	5564	41318	46882	5960	42255	48215

कोहार्ट स्टडी

अधिकतम पाठशाला त्याग दर वाले विधालयों से पिछले पांच वर्षों का बच्चों का पाठशाला त्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच

कोहार्ट स्टडी

अधिकतम पाठशाला त्याग दर वाले विद्यालयों से पिछले पांच वर्षों का बच्चों का पाठशाला त्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच साल से विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिए ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकालीन शिविर:

ऐसे गाँव/ग्रामसभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकाओं शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर प्रत्येक वर्ष प्रति ब्लॉक शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा। जनपद में प्रतिवर्ष 20 ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकायें बीच से विद्यालय न छोड़ दे यह सुनिश्चित करने के लिये वेटी ही स्कूल में कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिससे स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा। जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

एस0सी0डी0ए0: माडल कलस्टर एप्रोच के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत पर कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये हैं:

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
न्याय पंचायत सं	0	0	15	15	15

एस0यू0पी0डबलू0

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति स्कूल एस0यू0पी0डबलू0 का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
स्कूल की सं०	0	0	10	10	10

ग्राम शिक्षा समितियों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण: ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित किया जायेगा।

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वी0ई0सी0 सं०	0	0	150	141	0

शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायो/ उपागामें पर चर्चा कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रम

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना : छोटे भाई बहनों की देख रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएँ विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पाती जिससे विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता। कुछ बालिकायें इन कार्यों में अधिक व्यवस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती हैं।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केन्द्रों में 0-6 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा । इस हेतु इन केन्द्रों की अतिरिक्त मानदेय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा 3 विकास खण्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जनपद के जिन विकास खण्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है और जो महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े हैं में प्रति विकास खण्ड दो चरणों में 60 -60 केन्द्र खोले जायेंगे इस प्रकार कुल 125 केन्द्र खोले जायेंगे । केन्द्रों हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शाला त्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। इन केन्द्रों हेतु कार्यक्रमों का चयन ग्राम शिक्षासमिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

2. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव: शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक, पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है ।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रुचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है। शिक्षाप्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसंदेह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रुची बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं के नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेंगे । सिलाई कढ़ाई बुनाई, कला चित्रण के साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियों बनाने, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान आदि बनाने के प्रशिक्षण के जोड़ा जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम:

प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी के संदर्भ में विभिन्न विभागों जिला अर्थ एवं संख्या विभाग विकलांग कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला समाख्या एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा आंकड़ों का संकलन, वातावरण सृजन किया गया, साथ ही योजना के संचालन क्रियान्वयन में भी इनके सदुपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आंकड़ों के संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से सांख्यिकी सम्बन्धी मूलभूत आंकड़ों का संकलन किया गया, जबकि विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से समेकित शिक्षा हेतु 6-11 एवं 11-14 वय वर्ग के विकलांग बच्चों की सूची प्राप्त की गयी। पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची प्राप्त की गयी। डूडा के सहयोग से मलिन बस्ती की सूची प्राप्त की गयी।

6 वर्ष आयु वर्ग बच्चे की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका का ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक है। नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बच्चों की संख्या गांव एवं नगर दोनों में अधिक है। गांव में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये। शिक्षक विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर में वार्ड नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अधिकार शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

वातावरण सृजन

नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद की विभिन्न बस्तियों एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ विचार विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :

ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नव निर्वाचित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण, पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं 5 वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण एवं इन्हे भी प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

विद्यालयों की स्थिति उन्नति करने में सामुदायिक भूमिका:

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्रामवासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों को खोलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा। तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि विना खेल के बच्चा सीख नहीं सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी उन्ही से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज सज्जा में सहयोग

विद्यालय में फर्नीचर, टाट पट्टी, श्याम पट्ट, चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगो की मदद ली जायेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी । गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगो से उनके गणवेश, स्लेट, पेसिल, कापी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिए जायेगा । प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी ।

विद्यालय सुदृढीकरण से सक्रियता :

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चार दीवारी निर्माण मिट्टी भराव, विद्यालय प्रांगण की भूमि उँची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा ।

विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोग:

वातावरण एवं परिवेश को आकर्षक बनाने में बच्चे के गणवेश का विशेष महत्व है । ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगो की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी । जिससे बच्चे अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने को अपराध भावना से देखें और स्वयं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें ।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वों पर चेतना जागृति:

राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम न जन सहयोग लिया जायेगा । अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा । प्रतिबद्धता आयोजित कर सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर इन्हे प्रोत्साहित किया जायेगा ।

अध्यापक सहयोग :

समुदाय के शिक्षित लोगो को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय के शिक्षण कार्य के लिए समय दे तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी । शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे । कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 25-25 विद्यालयों को चयनित किया जायेगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 75 प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/- रुपये व्यय किये जायेंगे ।

वर्षवार	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कम्प्यूटर हेतु उ0प्रा0 विद्यालयों की संख्या	0	0	25	25	25

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग:

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए गतिशील बनाया जायेगा कि वे अपने विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

पर्यवेक्षण करते रहे और मासिक रूप से उसका अनुश्रण भी करे तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें ।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय/ समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करते हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा । विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है । इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे इन प्रस्तावों को डेस्क ऑप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगा । स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा ।

समेकित शिक्षा

विकलांगता अभिशाप नहीं वरदान है आदि जैसे वाक्यों में हम विकलांग लोगों की सहानुभूति तो बटोर लेते हैं, उन्हें सहयोग दे देते हैं और फिर वो उसी सहयोग के सहारे जी लेते हैं जबकि यह सही नहीं है। आज भी भारत की करीब 6 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है और इसमें करीब 95 प्रतिशत जनता, परिवार के समाज सहयोग या दान पर आश्रित है। इस तरह उन्हें हम दीन भावना से मदद कर आत्म निर्भर न बनाकर परजीवी बना रहे । उन्हें आत्म निर्भर बनाने का हमारा संकल्प तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक उनकी सोच में

आत्म निर्भरता न आए। और यह हम प्राप्त कर सकते हैं। इन विकलांग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करके ज्ञान का प्रकाश ही इनके जीवन में उजाला भर सकता है। किसी भी बच्चे की विकलांगता न सिर्फ बच्चे के व्यक्तित्व या परिवार को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समुदाय को भी प्रभावित करती है। अतः जब तक हम आम बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता विकलांग वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़कर शिक्षा को उनका मूल अधिकार नहीं बनाया जाता जब तक हम शिक्षा का सम्पूर्ण सार्वजनीकरण नहीं कर सकते ।

विकलांगता का तात्पर्य केवल अपंगता से नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य शरीर के किसी अंग (हाथ, पैर, आँख, कान, गला, मस्तिष्क) के द्वारा क्रिया न कर पाने की स्थिति से है। इनमें से भी आम इंसान जैसी सोचते समझते मानसिक विकलांग छोड़कर की क्षमता होती है। मानसिक विकलांग में सोचने की क्षमता आम इंसान से कम बहुत कम होती है। इन विकलांग बच्चों को हम शिक्षित कर बेहतर सोचने, समझने व कार्य करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार मूलतः 5 तरह की विकलांगता को मान्यता देती है वे हैं :-

1. शारीरिक विकलांग – इन्हें अस्थि विकलांग भी कहते हैं
2. दृष्टि विकलांग नेत्र विकलांग
3. श्रवण एवं वाणी दोष
4. मानसिक मंदता
5. अधिगम अक्षमता

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की मूल अधिकारों को ध्यान में रखकर ही सर्व शिक्षा अभियान में इसके लिए शिक्षा व्यवस्था पर विशेष महत्व दिया गया है।

विकलांगता के कारण :

1. जन्म से ही वे बच्चे तो जन्म से ही विकलांग होते हैं ।

2. कारण: वे बच्चे जिनमें जन्म के बाद किसी कारण से अक्षमता आ जाती है, जैसे दुर्घटनावश, कुपोषण, टीकारण, इत्यादि न होने की वजह से भी बच्चों के विकलांगता आ जाती है।

अभी तक यही होता रहा है कि विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था की जाती है। जहाँ विकलांग बच्चों को विशेष तकनीक से आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जाती रही है। जबकि ऐसा होना शत प्रतिशत सही नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे में आम बच्चों की तरह सोच व इच्छाये जागृत नहीं हो पाती है इन बच्चों में प्रतिभागिता की भावना नहीं आ पाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा (सामान्य धारा) में जोड़े जाने की पहल की जा रही है। ताकि उनकी सोच में बदलाव आ सके। शिक्षा की यही व्यवस्था जिसमें विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जाना है। समेकित शिक्षा कहलाता है। 2003 की परिवार सर्वेक्षण के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर में कुल 1600 बच्चे विकलांग पाये गये थे जिसमें से 989 बालक व 611 बालिका है। विकलांगता आधारित सूचना 2003 के परिवार सर्वेक्षण के अनुसार निम्न है। .

	बालक	बालिका	योग
दृष्टि विकलांग	88	63	151
श्रवण विकलांग	208	122	330
अस्थि विकलांग	562	345	907
मानसिक विकलांग	131	81	212
अधिगम अक्षम	0	0	0
योग	989	611	1600

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्म निर्भरता की कमी, समाज से अपेक्षित आदि बातों का बच्चे के मानसिक विकास में असर पड़ता है, जब विकलांग बच्चे दूसरे सामान्य

बच्चे के साथ विद्यालय में पढ़ेगा तो सिर्फ उसमें दूसरे सामान्य बच्चों जैसी सोचने/निर्णय लेने की आदत डलेगी बल्कि दूसरे सामान्य बच्चों जैसी सोचने /निर्णय लेने की आदत डलेगी बल्कि दूसरे सामान्य बच्चों को समझने का मौका मिलेगा और तभी समाज से हम विकलांग बच्चों को अपेक्षित लेने से बचा सकता है फिर हम इस बात को साबित कर सकेंगे कि विकलांग की अक्षमता नहीं क्षमता देखो

अक्षम को पढाएंगें, सक्षम बनायेगें

परिवार में ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। परिवार ऐसे में न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी ग्रसित होता है और आज के छोटे परिवार की प्रथा में ऐसे परिवार को समाज से भी उपेक्षा रहती है कि समाज ऐसे बच्चों के परिवार पर विशेष ध्यान दें प्रोत्साहित करें ।

अक्षम बच्चों को शिक्षा के समबन्ध में अनेक भंतियों है। अनेक शिक्षकों वृद्धिजीवियों का विश्वास है कि अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता है जबकि हम वास्तव में ऐसे प्रयास नहीं कर पा रहे हैं।

यदि परिवार एवं समाज इन बच्चों की शिक्षा के प्रति ध्यान दे तो विकलांग बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यदि बच्चों को सही मार्ग दर्शन मिले तो ये कठिन कार्य करने में भी नहीं हिचकेगें इसके लिए हमें सबसे पहले अपना, अपने परिवार का समाज का दृष्टिकोण बदलना होगा । इन बच्चों को सहानुभूति की नहीं सहायता की आवश्यकता है। एक ऐसी सहायता जो उन्हें अंगुली पकड़कर चलाना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाता है ।

सर्वेक्षण: जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के चारों विकास खण्डों में ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण कराए गए व प्रत्येक ग्राम में से सभी प्रकार के 0-18 वर्ष

तक के विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराया गया। इसमें से कुल 1600 विकलांग बच्चे पाए गये जिसमें करीब 1258 बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं वे 342 बच्च प्रतिकूल व्यवस्था की जगह से विद्यालय आपने में असमर्थ है।

मेडिकल ऐससमेन्ट कैम्प:

विकलांग बच्चों की डाक्टरी परीक्षण, चिन्हांकन, विकलांगता की ऐससमेन्ट व प्रमाण पत्र वितरण हेतु प्रत्येक वर्ष न्याय पंचायत स्तर पर हर विकास क्षेत्र में मेडिकल ऐससमेन्ट कैम्पों का आयोजन किया जाता है। इसमें विकलांगता प्रमाण पत्र वितरण हेतु जिला अस्पताल से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चिकित्सक दल उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें एक आर्थोपेडिक, एक आई०, स्पेशलिस्ट एक ई०एन०टी० विशेषज्ञ, व एक डिप्टी सी० एम० ओ० उपलब्ध कराया जाता है जो विकलांग बच्चों की विकलांगता जांच कर मौके पर ही उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करती है। अभी तक जनपद में जिला अस्पताल के डाक्टर्स की मदद से कुल 15 कैम्पों की आयोजन किया गया है जिससे कुल 1073 बच्चे ऐसस किये गये हैं। जिसमें 751 शारीरिक व 70 मूक बधिर व 42 दृष्टि विकार व शेष मानसिक अक्षमता वाले बच्चों का चिन्हांकन हुआ एवं 628 बच्चों को प्रतिशत के अनुपात में विकलांगता प्रमाण पत्र बॉटे गये। 651 शारीरिक विकलांग बच्चों को उपस्कर-उपकरण बॉटे गये। जिसमें 45 बच्चों को ट्राइसाइकल, 39 बच्चों को व्हीलचेयर, 207 बच्चों को कचेज व 360 बच्चों को कैलिपर बॉटे गये। 26 बधिर बच्चों को हीयरिंग एड बॉटी गई। 15 नेत्र अक्षम बच्चों को मेग्निफाइंग ग्लास दिए गए।

प्रशिक्षण :

विकलांग बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में इन्टीग्रेट करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठती है वो है विकलांग बच्चों का विद्यालय में ठहराव। इसके लिए सबसे जरूरी है कि प्रा० विद्यालय के शिक्षक इन विकलांग बच्चों को समझे व पढ़ाने

में सक्षम हो। इसके लिए विद्यालय के शिक्षको को भी विशिष्ट शिक्षा के उपकरण से लैश करना अनिवार्य होगा। इसके लिए शिक्षको का मास्टर ट्रेनर के सहयोग ब्लाक स्तर पर ही 5 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है। जनपद में 10 मास्टर ट्रेनर हैं। ददरी, दनकौर, विकास क्षेत्र में 2-2 व शेष में 3-3 मास्टर ट्रेनर हैं।

फाउन्डेशन कोर्स ट्रेनर का प्रशिक्षण:

फाउन्डेशन कोर्स ट्रेनर के प्रशिक्षण के लिए 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है मान्यता प्राप्त रूहेलखण्ड विश्व विद्यालय वरेली, अमर ज्योति रिहेबिलिटेशन एवं रिसर्च सेन्टर, दिल्ली में हैडीकेप्टड, इलाहाबाद जनपद में कुल 4 शिक्षक फाउन्डेशन कोर्स प्राप्त हैं।

शैक्षिक सामग्री:

जनपद में शिक्षको के प्रशिक्षण हेतु साहित्य की आवश्यकता को पूर्ण किया जा रहा है। अन्य जगहों से भी विकलांग बच्चों हेतु ब्लाक स्तर पर छोटे पैमाने पर साहित्य व विशेष शिक्षा की पुस्तकों की उपलब्ध होनी चाहिए। ताकि शिक्षक आवश्यकता अनुसार समय समय पर इन पुस्तकों का स्व अध्याय कर के बच्चों की समस्याओं व अन्य समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

वातावरण सृजन :

विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं व समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षको के प्रशिक्षण की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यक है विकलांग बच्चों के लिये रहने योग्य वातावरण तैयार करना ताकि इन बच्चों को कक्षा या विद्यालय के अलावा घर, पड़ोस, गाँव व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ये आसानी से जा सकें व इनका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए वातावरण सृजन करना बहुत जरूरी है। जिसके लिए समय समय पर सामान्य विद्यार्थियों के लिए, शिक्षको के लिए, अभिभावकों के लिए,

सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम चालाने की इसके साथ साथ कार्यशालाओं का आयोजन भी समय समय पर होती रहनी चाहिए।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु तकनीकी सहायता देने के लिए ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी, ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही है निम्नांकित पात्रता रखती है।

1. संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम 3 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड तो वह इस क्षेत्र में कार्यरत हो ।
2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्ध हो ।
3. विकलांगता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
4. संस्था विकलांगता जन अधिनियम 995 की धारा -5 के अधीन पंजीकृत है।

सर्वशिक्षा अभियान में विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों की योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा समुदाय जागरूकता, अभिभावक व शिक्षको को संवेदीकरण, विकलांग बच्चों की शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकासखण्ड स्तर तथा विद्यालय पर शिक्षको को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है। जिसके तहत जनपदों के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/ फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा

परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा । गौतमबुद्धनगर में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत अमर ज्योति रीहैब्लिटेशन इंस्टीट्यूट को दादरी व दनकौर विकास क्षेत्रों में यह कार्यक्रम माह मई 2002 से 2003 तक सौपा गया था ।

स्वास्थ्य परीक्षण :

जनपद में हर साल प्रा०/उ० विद्यालय जा रहे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर्स व ए०एन०एम० कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ उनकी डी वर्निंग का भी प्रावधान है। इस कार्यक्रम के लिए परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे । जो स्वास्थ्य की गम्भीरता को देखते हुए बनाए जाते हैं। गम्भीर बच्चों को चिकित्सा की व्यवस्था करायी जाती है।

विकलांग बच्चों की सर्वेक्षण आख्या 0-18 आयुवर्ग

विकास खण्ड / जनपद : गौतमबुद्धनगर

माह अगस्त 2003

विकलांगता के प्रकार	विद्यालय में										विद्यालय से बाहर										कुल		
	0-3		3-5		5-14		14-18		कुल		0-3		3-5		5-14		14-18		कुल				
	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
शारीरिक विकलांग					311	203	170	94	481	297					39	27	42	21	81	48	562	345	907
मानसिक विकलांग					79	41	28	24	107	65					13	10	11	0	24	16	131	81	212
दृष्टि विकलांग					37	23	23	19	60	42					15	14	13	7	28	21	88	63	151
श्रवण विकलांग					80	34	55	37	135	71					40	23	33	28	73	51	208	122	330
अभिगम अक्षमता / अन्य																							
कुल					507	301	276	174	783	475					107	74	99	62	206	136	989	611	1600

विशेषज्ञ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गौतमबुद्धनगर

INTEGRATION REPORT OF CHILDRENS WITH DISABILITIES

District : Gautam Budh Nagar

Month:

Disabilit	Class-1		Class-2		Class-3		Class-4		Class-5		Total			Drop Out		
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	AL	Boys	Girls	TAL
V.I	8	6	7	4	9	6	11	8	6	5	41	29	70			0
H.I.	14	8	17	8	18	9	19	11	18	6	86	42	128			0
O.H.	47	41	61	46	89	49	74	38	62	44	334	218	552			0
M.R.	16	8	15	9	18	8	17	10	18	9	84	44	128			0
Total	85	63	100	67	134	72	121	67	105	64	545	333	878	0	0	0

	Class-6		Class-7		Class-8		Total			Drop Out		
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	AL	Boys	Girls	AL
V.I	6	5	7	5	6	3	19	13	32			0
H.I.	13	8	17	11	19	10	49	29	78			0
O.H.	44	25	54	28	49	26	147	79	226			0
M.R.	7	6	8	9	8	4	23	19	42			0
Total	70	44	86	53	82	43	238	140	378	0	0	0

अध्याय-9

प्राथमि शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन

जनपद में शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति :

वैसे तो गौतमबुद्ध नगर जनपद के शैक्षिक परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में गुणात्मक और सकारत्मक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं, किन्तु अभी भी इसी दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से सबको शिक्षित करने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की गयी है परन्तु इस दिश में और भी करना आवश्यक है।

अप्रैल 2000 से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-तीसरा प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना के तहत भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों में वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिला स्तर पर डायट के नतृत्व में पृथक-पृथक चरणों में विविध कार्य किये जा रहे हैं। इनमें कार्यशाला, प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षको के कार्यस्थल पर सहयोग आदि शामिल है। इस कार्य में बी.आर.सी. तथा एन.आर.पी.सी. समन्वयकों भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के कार्य एवं दायित्व सम्बन्धी डायट स्तर पर सात दिवसीय तथा अकादमिक सपोर्ट एवं अनश्रवण देने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये। शिक्षण सामग्री मेलो का आयोजन समन्वयकों द्वारा स्कूलो का नियमित भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण तथा विद्यालयों, एन.पी.आर.सी और बी.आर.सी. का उनके भौतिक एवं पक्षो के आधार पर वर्गीकरण आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यक्रमों में भरसक प्रयत्न करने के बाद भी यह पाया गया है कि प्रभावी क्रियान्वयन न हो सकने के कारण अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सके। इस

कार्यक्रम से आच्छादित क्षेत्रों में तो शिक्षकों और विद्यालयों की अकादमिक आवश्यकताओं को बड़ी हद तक पूर्ण किया जा सकता किन्तु जो क्षेत्र अनाच्छादित रह गये वहाँ निम्न तथ्य देखने को मिलें :-

- क. उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि संचालित कार्यक्रम में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं था।
- ख. आशासकीय हाई स्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में न लाये जाने से उन बच्चों की शैक्षिकों की कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सका।
- ग. आशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यालयों के विद्यार्थियों व शिक्षकों की अपेक्षा एवं आवश्यकताओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया।
- ङ. मकतव/मदरसों के बच्चों एवं शिक्षकों को भी प्राथमिक शिक्षा-कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं दिया जा सका।
- च. जनपद में स्थित राजकीय आदर्श विद्यालयों को भी अब तक संचालित योजना के अन्तर्गत कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया है गौतमबुद्ध नगर जनपद में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

1. जनपद में राजकीय परिषदीय प्रा०वि० की संख्या -469
2. जनपद में राजकीय परिषदीय उ०प्रा०वि० की संख्या - 151
3. जनपद में मा०वि०की संख्या कक्षा 6,7,8 संचालित है -92
4. जनपद में ई.जी.एस. केन्द्रों की संख्या -75
5. जनपद में वैकल्पिक केन्द्रों की संख्या -75
6. जनपद में मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय-275
7. जनपद में मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय -78
8. स्कूल पूर्व शिक्षा (ई०सी०सी०ई०) -125

प्राथमिक शिक्षा के सर्वाभौमिकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जनपद में शिशु शिक्षा को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई। इसके लिए जनपद के आगनबाड़ी केन्द्रों विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को ड़ायट में 7 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। संबधित एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. समन्वयकों को भी पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इन केन्द्रों का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि बच्चे विशेषकर बालिकाओं को अपने छोटे भाई-बहिनों की देखभाल से मुक्त कर उन्हें विद्यालय में पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया गया।

डी.पी.ई.पी. की ओर से इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय प्रशिक्षण तथा प्रति वर्ष 7 दिन के पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण तथा प्रशिक्षण सामग्री के लिए 5 हजार रू० तथा अकस्मिक खर्च के लिए 1500 रू० प्रदान किये गये।

ग्राम शिक्षा समितियों तथा प्रधान अध्यापकों को भी शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से जोड़ा गया। इस प्रयोग के अत्यन्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। जिनमें प्रमुख इस प्रकार है—

1. विद्यालयों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है।
2. बच्चों में विद्यालयों में पूरे समय तक रुके रहने की प्रवृत्ति विकसित हुई है।
3. ग्राम में शिक्षा के प्रति रुझाना बढ़ा है।

ग्राम शिक्षा समिति :

शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में समाजिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया। यह समितियों विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्राम पंचायत में स्थित संचालित परिषदीय विद्यालय का वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होता है। विद्यालय में अध्ययनरत तीन छात्रों के अभिभवकों (एक महिला) को

समिति का सदस्य नामित किया गया है । यह सदस्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किये जाते हैं।

समिति के प्रमुख उत्तरदायित्व विद्यालय भवन की मरम्मत आवश्यकतानुसार, भवन निर्माण कराना है। विद्यालयों तथा शिक्षकों के कार्य का पर्यवेक्षण भी यह समिति करती है। गौतमबुद्धनगर जनपद में डी.पी.ई.पी. के तहत डायट द्वारा 69 वी.आर.जी. को प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन एवं ब्लाक संसाधन समूह का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों के शिक्षकों तथा स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। वी आर जी सदस्यों समूह के सदस्यों को डायट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद इन प्रशिक्षित सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किये । ग्राम स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं –

- 1.प्रतिभगिता पर विश्लेषण एवं समस्या समाधान तथा अभ्यास कार्य।
- 2.कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
- 3.समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समितियों के अभ्यास का प्रस्तुतीकरण।
- 4.प्रतिभगिता उपागम, रोल-प्ले, केस-स्टडी क्षेत्र भ्रमण तथा समप्रेषण अभ्यास।

ग्रामीण शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर ही योजनायें बने इस उद्देश्य को ध्यान में रख स्कूल मैपिंग तथा मइक्रोप्लानिंग अभ्यास के आधार पर ग्राम शिक्षा योजनाये तैयार की गई। इन योजनाओं का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर किया जाता है। विद्यालय स्तर पर नियोजन स्कूल न आने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन कारकों का पता लगाया गया जिनके कारण वे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान ग्राम शिक्षा समिति कार्य सुरक्षित सरल ग्राम शिक्षा समिति 'संकल्प एवं प्रयास' नामक मार्ग दार्शिका का उपयोग किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अस्तित्व में अने से जहाँ विद्यालय की गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ी हैं वहां स्थानीय स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण भी समाप्त हुआ। इससे स्कूल न आने

वाले बच्चों विशेषकर बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। समुदाय की भागीदारी बढ़ाने में बाधक बनने मुख्य कारण इस प्रकार है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर अभिभावक निरक्षर या अल्प शिक्षित हैं इस कारण अपने बच्चों को न तो वह गृह कार्य में सहयोग कराते हैं और ना ही बच्चों की शिक्षा की गतिविधियों में रुचि लेते हैं।
2. ग्रामीण अभिभावकों का अधिकांश समय कृषि कार्य अथवा मजदूरी में व्यतीत होता है। वे अपने बच्चों के शिक्षक से संवाद न के बराबर करते हैं।
3. अभिभावकों अथवा बड़े भाई बहिनों का सहयोग न मिलने से बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए पूर्णतः शिक्षक पर अविलम्बित रहते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम शिक्षा समितियाँ शिक्षा गुणात्मक उन्नयन में योगदान देने में पुरी तरह सक्षम साबित नहीं हुई है। प्रायः यह देखा गया है कि समिति के सदस्य व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य में तो रुचि लेते हैं किन्तु कक्षा शिक्षण से जुड़ने की इच्छा का उनमें सर्वथा अथवा अभाव देखा गया है प्रायः समितियों के सदस्य बैठक में उपस्थित ही नहीं होते। समिति के गठन का वर्तमान मापदण्ड भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं।

डी०पी०ई०पी० (।।।) के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप :-

डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये।

- | | |
|---|----|
| 1. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक (प्रथम+द्वितीय +तृतीय चक) प्रशिक्षण- | 59 |
| 2. बी०आर०सी० आधारभूत प्रशिक्षण- | 12 |
| 3. एन०पी०अर०सी० आधारभूत प्रशिक्षण- | 40 |
| 4. शिक्षा मित्र (डी०पी०ई०पी०/बेसिक) | 12 |
| 5. शिक्षा मित्र पुर्न बोधात्मक | 74 |

6.आचार्य / अनुदेशक प्रशिक्षण—	87
7.आंगनबाड़ी प्रशिक्षण—	118
8.विजनिंग कार्यशाला	52
9.ई0जी0एस0 / ए0एस0 पर्यवेक्षण प्रशिक्षण	48
10. शैक्षिक सपोर्ट कार्यशाला	48
11. शिक्षक संदर्शिका प्रशिक्षण	48

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों के गुणवत्ता में वृद्धि की गयी। इनकी सोच में परिवर्तन भी आया। यह अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ है प्रशिक्षण से परिणाम उत्साहवर्धक प्राप्त हुये है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हापुड विभाग एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु डायट हापुड की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार तृतीय चरण में 1995 में गी गयी यह संस्थान जनपद मुख्यालय से 65 किमी० दूर हापुड दिल्ली लखनऊ मार्ग पर स्थित है इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना जनपद के शैक्षिक आँकड़ों का संकलन शिलेषण एवं तदानुसार उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गयी है।

- 1.जिला संसाधन इकाई विभाग।
- 2.सेवा पूर्व विभाग।
- 3.सेवारत विभाग।

4. पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।

5. कार्यानुभव विभाग

6. शैक्षिक तकनीकी विभाग

7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

1. जिला संसाधन ईकाई विभाग—

शिक्षा ही वर्तमान के निर्माण का अनुरूप साधन है सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। वे बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन लोगों का अवाहन किया जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और लोगों को शिक्षा देने में रूचि रखते हो। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न हैं।

1. अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

2. सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।

3. पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।

4. कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।

5. कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।

6. कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना।

7. कार्यक्रम का प्राभावी अनुश्रवण।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002-2007 तक जिला संसाधन

ईकाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना:-

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम	स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना	स्वयं सेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, जिला संसाधन ईकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2003 तक ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षित करना है, वर्ष 2003 से 2004 स्वयं सेवकों (अनुदेशकों) को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा। एवं वर्ष 2004 से 2005 के मध्य स्वयं सेवकों की पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है, वर्ष 2005 से 2006 तक अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण प्रदान करके उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा तथा वर्ष 2006-2007 तक स्वयं सेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण देकर उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्रस्तावित है।

2- सेवापूर्ण विभाग :-

सेवापूर्ण विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी०टी०सी० प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यह विभाग करता है बी०टी०सी० एवं शिक्षा मि. को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक

के रूप में आने वाली चुनौतियों की सामाना कर सकें प्रशिक्षण में सामुदायिक शिविरों का भी आयोजन किया जाता है

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :-

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण एवं बी०टी०सी० प्रशिक्षण	बी०टी०सी० प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी०टी०सी० प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी०टी०सी० प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है, वर्ष 2003-04 में शिक्षा मित्र एवं बी०टी०सी० प्रशिक्षण का प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में बी०टी०सी० का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित है।

3. सेवारत विभाग

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावशील, शिक्षक होने के लिए नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थित दक्षता को बढ़ाना होगा जिस प्रकार देश की रक्षा में लगी हुई सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानाकारी देकर अभ्यास कराया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई नई तकनीकों ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों को समय समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक

प्रस्तावित कार्य योजना :

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधोन्मुख प्रशिक्षण	गणित विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधोन्मुख प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान, भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमिनार	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधोन्मुख प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधोन्मुख प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

4. कार्यानुभव विभाग

सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण कर सबसे सशक्त साधन शिक्षा को माना गया है। इसलिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तदनुरूप शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव में द्वारा शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाते हुए समाज में होने वाले कार्यों से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परिसर में सौन्दर्यकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि कराया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
छात्राध्यापको को निर्मूल्य सहायक सामग्री का निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का डायट पर कार्य करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना	सेवारत अध्यापको का निर्मूल्य सहायक सामग्री का पुनबोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यापक का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को ऑवले की खेती एवं फल संरक्षण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002-2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य का सम्पन्न कराया जायेगा ।

5. शैक्षिक तकनीकी विभाग :

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व निवन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें । छात्रों की आमंत्रित कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य / अल्प व्यय, अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता सम्बर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों का सफल बनाया जा रहा है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक
प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण	शिक्षा मित्र छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे ।

6. पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएँ सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है शिक्षक अपने प्रयास में कहीं तक सफल है सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है । उपर्युक्त विचारों की दृष्टि में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है।

**सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग
द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना**

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत रूप से होगा	प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता समानता, लोकतंत्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा	अध्यापकों एवं छात्रों को नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम करया जायेगा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे ।

7. नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग :

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0 एम0 आई0 एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002-2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण इकाइयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना	ई0 एम0 आई0 एस0 की कार्य प्रणाली की विधिवत जानकारी कराने के बाद कार्य रूप देना जिससे देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002-07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे ।

नोट : S.I.E./S.C.E.R.T./S.I.E.M.T./S.P.O द्वारा निश्चित / निर्धारित कार्यक्रमों को सभी विभागों में समायोजित करेंगे ।

गुणवत्ता सम्बर्धन के क्षेत्र में समन्वयों की भूमिका

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर स्थापना

की गयी है। कुल बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थापन किया गया। जिसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य एवं दायित्व निम्नवत है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका:

1. ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयों के समाधान के लिये किया जाता है।
2. डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।
3. विभिन्न प्रकार के शिक्ष प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।
4. ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैक प्रदान किया जाता है।
5. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं एम.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।
6. ई.एम.आई. एस. आंकड़ों का संकलन कार्य
7. ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक योजना तैयार करना, तदनुरूप बजट निर्माण तथा वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन।
8. एन.पी. आर. सी. सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना और उनके लिये आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।

9. एन.पी.आर.सी. के फीड बैक ओर इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समूह गठित करना ।
10. संकुल स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्यसूची अवधारणात्मक प्रलेख तैयार करना ! जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विशेष उल्लेख हो ।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों के अनुभवों को परस्पर विनिमय करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत कार्य किये जाते हैं।

1. संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठको/ कार्यशाला का आयोजन करना ।
2. स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई0 एम0 आई0 एस0 ऑकड़ों का संकलन कार्य ।
3. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास ।
4. बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना ।
5. ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठको में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा ब्लक संसाधन केन्द्रों को वॉछित सहयोग प्रदान करना ।

6. संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखी करण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लॉक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना ।
7. अध्यापकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी पाठ्य चर्चा एवं पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको मदद करना ।
8. अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिये अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना ।
9. न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण
10. ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना ।
11. विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्राथमिक स्तर पर)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) से आच्छादित जनपद गौतमबुद्धनगर कार्यक्रम के तृतीय चरण में आच्छादित जनपदों के रूप में अप्रैल 2000 से आच्छादित है। जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्धन के लिये प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

जनपद गौतमबुद्धनगर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण में होने के कारण प्रथम चक्र के शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, द्वितीय चक्र के सबल प्रशिक्षण के आवयक अंशों के साथ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित तृतीय चक्र का प्रशिक्षण बलाक संसाधन केन्द्रों पर माह जून 2001 से आयोजित किया गया जो कि समाप्ति की तरफ अग्रसर है। इस प्रशिक्षण में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल साधन का प्रयोग किया गया ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. शिक्षको को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास ।

2. शिक्षण कार्य में बच्चों की सक्रियता भागीदारी के प्रति समक्ष विकसित करना ।
3. बच्चों की सीखने सम्बन्धी कठिनाइयों को समझाना शिक्षको में बच्चो की कठिनाईयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदन शील बनाना ।
4. शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासा पूर्ण बनाना ।
5. वंचित वर्ग विशेष कर बालिकाओं की शिक्षा मे आने वाली कठिनाइयों संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करना ।
6. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास ।
7. विभिन्न विषयों के लिये गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग ।
8. अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना ।
9. अध्यापकों को प्रत्येक बच्चों में आशावादिता एवं आत्म विश्वास जागृत करने पर बल देना ।
10. गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य ।
11. एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहु कक्षा/ बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य ।
12. बहु उद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण शिक्षण में उपयोग एवं सम्भावनायें ।
13. शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिये समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य ।
14. समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाइयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना ।

15. बच्चों को ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत् मूल्यांकन
16. शिक्षण कार्य में विषयाधारित कहानी लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा गणित विज्ञान, समाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना ।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र साधन की अद्यतन स्थिति

कुल शिक्ष संख्या (शिक्षा मित्रों सहित)	1430
प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या (शिक्षा मित्रों सहित)	1315
अवशेष अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या (शिक्षा मित्रों सहित)	115

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों में कार्य कुशलता में वृद्धि के लिये प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान / अंग्रेजी / गणित अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षण कोशल में अभिवृद्धि के लिये आयोजित किये जा रहे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की भाँति उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षको को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षको को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हापुड के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षको की क्षमता बढ़ाने के लिये

उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशल में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी है।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये जिला स्तर पर डायट ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। एन.पी.आर.सी. समन्वयक द्वारा निरन्तर प्राथमिक विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं विद्यालयीय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं का तात्कालिक निदान न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित मासिक बैठक में तथा ऐसे समस्याओं जिनका निदान नहीं हो पाता, एन.पी.आर.सी. समन्वयक द्वारा ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयक की मासिक बैठक में रखी जाती है। एन.पी.आर.सी./ बी.आर.सी. स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक समस्याएँ तथा विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता उनका समाधान डायट स्तर पर बी. आर. सी. समन्वयकों की मासिक बैठक में किया जाता है। शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये डारूट संकाय सदस्यों, निरीक्षक वर्ग बी.आर.सी. , एन.पी.आर. सी. समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया ।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव:

जनपद गौतमबुद्धनगर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से संचालित है। जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण साधन माड्यूल के अनुसार लगभग समाप्ति की तरफ है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), डायट मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी0आर0सी0/एन.पी.आर.सी. समन्वयकों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जिनसे प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षणकार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण:

जनपद गौतमबुद्धनगर में एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के 40 पद सृजित जिनमें से मात्र 29 समन्वयक कार्यरत है। जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य बाधित हो रहा है राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रभारी न्याया पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा संख्या 3214/15-5-01-346/2001 दिनांक 11.07.2001 द्वारा शुरू हो चुका है। जुलाई से अब तक जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति निम्न है।

विद्यालयों की संख्या	श्रेणीकृत विद्यालय	श्रेणीकरण की स्थिति
427	406	ए— 68
		बी— 323
		सी— 15
		डी— —

बेस लाइन सर्वे वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति
सारिणी संख्या -9.1

क0स0	कक्षा	विषय	बालाकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम.एल. एल. प्रतिशत	दक्षता प्रतिशत	एम.एल. एल. प्राप्त नहीं कर सके प्रतिशत	एम.एल. एल. प्रतिशत	दक्षता	एम.एल. एल. प्राप्त नहीं कर सके
1	2	भाषा	21.4	31.2	31.8	24.7	29.9	29.3
2	2	गणित	12.7	48.9	14.5	16.5	43.9	19.2
3	5	भाषा	41.6	4.8	39.2	32.9	4.7	47.2
4	5	गणित	13.9	0.0	83.7	14.3	0.0	84.7

प्राथमिक विद्यालयों की प्रोत्साहन योजनाएं :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र नामांकन, धारण एवं ठहराव है। जिसकी प्रतिपूर्ति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद में 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निः शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के बालको एवं सभी वर्ग की बालिकाओं का निः शुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करायी गयी है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2001-2002 को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष मनाये जाने के उद्देश्य से माह जुलाई 2001 में स्कूल चलों अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा 1 से 5 तक के सभी जाति के बालक बालिकाओं को निः शुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करायी गयी ।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिये छात्रवृत्ति निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण पोषाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुये है

जिससे अभिभावकों को सहयोग मिलने के साथ साथ विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है तथा हास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ नामांकन बढ़ा है तथा हास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बालक एवं बालिकाओं तथा पिछड़ी जाति के कुछ बाकल / बालिकाओं को दिया जा रहा है। पोषाहार योजना का लाभ सभी बालक / बालिकाओं को मिलता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेस लाईन स्टडी के माध्यम से किया गया था। आशा है कि अद्यतन आयोजित तथा मिडटर्म स्टडी से पूर्व आयोजित किये जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रोत्साहन योजनाओं का बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति सारिणी संख्या -9.2

क्र०स०	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम.एल. एल. प्रतिशत	दक्षता प्रतिशत	एम.एल. एल. प्राप्त नहीं कर सके प्रतिशत	एम.एल. एल. प्रतिशत	दक्षता	एम.एल. एल. प्राप्त नहीं कर सके
1	2	भाषा	8.8	60.0	8.10	11.6	57.2	8.8
2	2	गणित	7.58	67.4	4.27	10.45	61.28	7.84
3	5	भाषा	27.8	21.1	22.9	32.4	16.7	25.4
4	5	गणित	29.1	6.7	46.4	31.5	6.5	42.9

शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति :

आधारभूत सर्वेक्षण एवं मध्यावधि सर्वेक्षण की उपलब्धियों के मध्य तुलना करने पर निम्नवत सामान्यीकरण प्राप्त होते हैं। :-

1. कक्षा 2 भाषा में आधारभूत सर्वेक्षण में छात्रों की उपलब्धि 6.11 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में बढ़कर 80.71 प्रतिशत हो गयी है ।
2. कक्षा 2 गणित में आधारभूत सर्वेक्षण में छात्रों की उपलब्धि 72.39 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में बढ़कर 82.76 प्रतिशत हो गई है ।
3. कक्षा 5 भाषा में आधारभूत सर्वेक्षण में छात्रों की उपलब्धि 45.94 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में बढ़कर 58.0 प्रतिशत हो गयी है ।
4. कक्षा 5 गणित में आधारभूत सर्वेक्षण में छात्रों की उपलब्धि 28.83 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में 46.26 प्रतिशत हो गयी है ।
5. कक्षा 2 भाषा में आधार भूत सर्वेक्षण में बालक व बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 60.05 प्रतिशत व 60.20 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में क्रमशः 81.5 प्रतिशत व 79.92 प्रतिशत हो गयी है ।
6. कक्षा 2 गणित में आधारभूत सर्वेक्षण में बालक व बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 72.45 प्रतिशत व 69.65 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में क्रमशः 84.99 प्रतिशत एवं 80.53 प्रतिशत हो गयी है ।
7. कक्षा 5 भाषा में आधार भूत सर्वेक्षण में बालक व बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 46.54 प्रतिशत व 45.09 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में क्रमशः 59.0 प्रतिशत व 56.93 प्रतिशत हो गयी है ।
8. कक्षा 5 गणित में आधारभूत सर्वेक्षणमें बालक व बालिकाओं की उपलब्धि क्रमशः 28.95 प्रतिशत व 28.65 प्रतिशत थी जो बढ़कर मध्यावधि सर्वेक्षण में क्रमशः 45.72 प्रतिशत व 46.83 प्रतिशत हो गयी है ।

9. कक्षा 2 भाषा में ग्रामीण व शहरी छात्रों की उपलब्धि आधारभूत सर्वेक्षण में कमश 56.1 प्रतिशत व 72.7 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 80.01 प्रतिशत व 83.31 प्रतिशत हो गयी है।
10. कक्षा 2 गणित में ग्रामीण व शहरी छात्रों की उपलब्धि आधार भूत सर्वेक्षण में कमश 70.9 प्रतिशत व 77.4 प्रतिशत थी जो बढ़कर मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 83.88 प्रतिशत व 78.67 प्रतिशत हो गयी है।
11. कक्षा 5 भाषा में ग्रामीण व शहरी छात्रों की उपलब्धि आधारभूत सर्वेक्षण में 42.26 प्रतिशत व 54.05 प्रतिशत थी जो बढ़कर मध्यावधि सर्वेक्षण में कमशः 58.43 प्रतिशत व 56.54 प्रतिशत है।
12. कक्षा 5 गणित में ग्रामीण व शहरी छात्रों की उपलब्धि आधारभूत सर्वेक्षण में कमशः 26.9 प्रतिशत व 33.08 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमशः 45.77 प्रतिशत व 47.94 प्रतिशत हो गयी है।
13. कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अन्य जाति के छात्रों की उपलब्धि आधारभूत सर्वेक्षण में कमश 54.95 प्रतिशत, 62.6 प्रतिशत एवं 65.55 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 78.61 प्रतिशत, 82.09 प्रतिशत एवं 81.8 प्रतिशत हो गयी है।
14. कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अन्य जाति के छात्रों की उपलब्धि आधारभूत सर्वेक्षणमें कमश 68.4 प्रतिशत, 76.26 प्रतिशत एवं 72.85 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 82.12 प्रतिशत, 82.60 प्रतिशत एवं 83.73 प्रतिशत हो गयी है।
15. कक्षा 5 भाषा में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अन्य जाति के छात्रों की उपलब्धि आधारभूत सर्वेक्षण में कमश 43.19 प्रतिशत, 46.64 प्रतिशत एवं 47.43 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 56.18 प्रतिशत, 58.34 प्रतिशत एवं 59.44 प्रतिशत हो गयी है।
16. कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों की उपलब्धि आधारभूत सर्वेक्षण में कमश : 27.35 प्रतिशत, 28.83 प्रतिशत एवं 30.

- 05 प्रतिशत थी जो मध्यावधि सर्वेक्षण में बढ़कर कमश: 45.01 प्रतिशत, 47.61 प्रतिशत एवं 46.10 प्रतिशत हो गयी है ।
17. कक्षा 2 भाषा व गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर रहित छात्र आधारभूत सर्वेक्षण में कमश 30.65 प्रतिशत व 16.64 प्रतिशत थे जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 8.42 प्रतिशत व 6.04 प्रतिशत रह गये है ।
 18. कक्षा 2 भाषा व गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त छात्र आधारभूत सर्वेक्षण में कमश: 22.88 प्रतिशत व 14.42 प्रतिशत थे जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश: 10.20 प्रतिशत व 9.01 प्रतिशत है ।
 19. कक्षा 2 भाषा व गणित में दक्षता की ओर अग्रसर छात्र आधारभूत सर्वेक्षण में कमश 15.85 प्रतिशत व 22.15 प्रतिशत थे जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 22.85 प्रतिशत व 20.7 प्रतिशत है ।
 20. कक्षा 2 भाषा व गणित में दक्षता प्राप्त छात्र आधारभूत सर्वेक्षण में कमश 30.55 प्रतिशत व 46.4 प्रतिशत थे जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 53.6 प्रतिशत व 64.34 प्रतिशत हो गये है ।
 21. कक्षा 5 भाषा व गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर रहित छात्र आधारभूत सर्वेक्षण में कमश: 43.2 प्रतिशत व 84.2 प्रतिशत थे जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 24.1 प्रतिशत व 44.65 प्रतिशत रह गये है ।
 22. कक्षा 5 भाषा व गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त छात्र आधारभूत सर्वेक्षण में कमश: 37.25 प्रतिशत व 14.1 प्रतिशत थे जो मध्यावधि सर्वेक्षण में बढ़कर कमश 30.0 प्रतिशत व 30.3 प्रतिशत हो गये ।
 23. कक्षा 5 भाषा व गणित में दक्षता की ओर अग्रसर छात्र आधारभूत सर्वेक्षण में कमश 14.8 प्रतिशत व 1.7 प्रतिशत थे जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 26.9 प्रतिशत व 18.4 प्रतिशत हो गये है ।
 24. कक्षा 5 भाषा व गणित में दक्षता प्राप्त छात्र आधारभूत सर्वेक्षण में कमश 4.75 प्रतिशत व 0.0 प्रतिशत थे जो मध्यावधि सर्वेक्षण में कमश 19.0 प्रतिशत व 6.6 प्रतिशत हो गये है ।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य:

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद गौतमबुद्धनगर में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है :-

1. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, बैंक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शति प्रतिशत नामांकन।
3. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा -5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
4. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
5. गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
6. बालक बालिकाओं तथा सामज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।
7. सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।
8. शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को

समर्थन देना तथा जहाँ बाल विकास परियोजनाएँ नहीं चल रही हैं वहाँ विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सैट एवं इंडिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा ।

S.A.T.

S- Systematic

A- Approach

T- Training

I- Identification

N- Need

D- Designing & Planning

I- Impelementation

A-Assessment

तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एवं सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा । जिसमें जनपद स्तरीय विकास खण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों न्याया पंचायत/ विकास खण्ड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी । जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता निषकर्ष एवं सहमतियां तय की जायेगी । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिये विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याया पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा । कार्यरत शिक्षको के आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा । कार्यरत शिक्षको के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षको दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने

की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी०आर०सी० स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ मुख्यतः एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित किये जायेगे । प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी । डीपीईपी के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुत कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नीवन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें ।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण :

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहुत कक्षा शिक्षण/ बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवसों का प्रशिक्षण क्रमशः एक एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत् है:

1. विजनिंग कार्यशाला का आयोजन तीन दिवसीय
2. बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण ।
3. मैटेरियल मेले का आयोजन
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
कार्यशाला / सेमिनार गाइमरी	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. गणित कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0 एल0 एम0 कार्यशाला 4. गणित मेलों का आयोजन	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला विज्ञान नि0 प्रयोग प्रशिक्षण	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
उपर गाइमरी	1. आवश्यकताओं का आकलन 2. गणित कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0 एल0 एम0 कार्यशाला 4. गणित मेलों का आयोजन	आवश्यकताओं का आकलन विज्ञान नि0 प्रयोग प्रशिक्षण टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
शिक्षण गाइमरी	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2. गणित प्रशिक्षण 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण 4. गणित किट प्रयोग प्रशि0	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण सा0विज्ञान: मानचित्र ग्लोब प्रयोग प्रशि0 गणित अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत एवं पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन अनुश्रवण
उपर गाइमरी	1. गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन 3. गणित किट प्रयोग प्रशि0	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण सा0 विज्ञान मानचित्र ग्लोब संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	हिन्दी एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन अनुश्रवण,
क्षमता सम्वर्द्धन शिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्वर्द्धन हेतु	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्वर्द्धन न में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्वर्द्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का मूल्यांकन
	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 / समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	वी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आकलन पर)	वी0आर0 सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु	वी0आर0पी0 / एन0पी0 आर0 समन्वयक का प्रभाव श्रेणीकरण का प्रभाव का आकलन	वी0आर0पी0 / एन0पी0 आर0 सी0 द्वारा मूल्यांकन

	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मुल्यांकन
	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर	कियात्मक शोध प्रस्ताव 1. बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2. डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का आयोजन 2. कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3. सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. कला प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2. विज्ञान प्रतियोगिता 3. भाषण प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 2. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 3. अन्ताक्षरी प्रतियोगिता (कविता द्वारा)	1. विज्ञान प्रतियोगिता 2. टी.एल.एम. प्रतियोगिता 3. पी.टी. प्रतियोगिता

विशेष प्रशिक्षण :-

- 1.कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- 2.लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।
- 3.नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी।
- 4.स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- 5.सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- 6.व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- 7.समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- 8.शिक्षा मित्र / आचार्य जी प्रशिक्षण।
- 9.समय प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण।
10. एस0 डी0आई0/ए0 बी0 एस0ए0 क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण:-

इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यो को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करेंगे।

लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण:-

कक्षा में बालिकाओ के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी0आर0सी0स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :-

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :-

स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाईस्कूल के समस्त अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेंट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण :-

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेंट से पधारे संदर्भ दाताओं द्वारा किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सिमेंट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

U- O;fDrRo fodkl lEcU/kh izfk{k.k %&

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण :-

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा। शिक्षा मित्र/आचार्य

जी प्रशिक्षण: जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रों के आचार्य जी के लिए तीन दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट सतर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण:—

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण:—

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण:—

डीपीईपी के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज में 6-8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी०आर०सी० / एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी आकादमिक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के समन्वयकों की उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी०ई०सी०ई० के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रांते उप विद्यालय निराक्षक का प्रशिक्षण :-

विकास खंड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० की महत्वपूर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पाँच दिवसीय ओरिएटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेंट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतब मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :-

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ साथ युवक मंगल दल के सदस्य माडल कलस्टर डवलपमेंट ऐप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से वूमेनस मेन्स ग्रुप, मदर टीचर्स एसोसिएशन पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :-

जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेंट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

अन्य हस्तक्षेपीय उपाय :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपीय उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक के दौरान किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है :-

कुल कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला : - 220

शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या - 167

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	167	167
परीक्षा	10 दिन	14 दिन
पल्स पोलियो व चुनाव कार्य	30 दिन	30 दिन
खेलकूद की रैली	6 दिन	6 दिन
समुदाय से संपर्क	7 दिन	7 दिन

स्कूल समय सारिणी के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर में उपलब्ध शिक्षण समय
(प्रतिदिन)

विषय	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
भाषा 1 हिन्दी	10×40	3×40
भाषा 2 अंग्रेजी	3×40	3×40
भाषा 3 संस्कृत	3×40	3×40
विज्ञान	6×40	3×40
गणित	10×40	3×40
समाजिक विषय	5×40	3×40
बेसिक काफ़्ट/कला	5×40	3×40
शारीरिक शिक्षा	3×40	3×40
कृषि	-----	2×40

प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम्
1.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक काफ्ट शा0शि0	
2.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक काफ्ट शा0शि0	
3.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी/गणित	अंग्रेजी/ संस्कृत बुक काफ्ट शा0शि0		व्यायाम
4.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी/गणित	अंग्रेजी/ संस्कृत बुक काफ्ट शा0शि0		व्यायाम
5.	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी/गणित	अंग्रेजी/ संस्कृत बुक काफ्ट शा0शि0		व्यायाम

उच्च प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम वादन	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ अवकाश	मध्य	पंचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम्
6.	हिन्दी	विज्ञान	सा0विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला/व्यायाम योगा
7.	हिन्दी	विज्ञान	सा0विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला/व्यायाम योगा
8.	हिन्दी	विज्ञान	सा0विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला/व्यायाम योगा

कार्यशालाओं / गोष्ठियों का अयोजन :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठकों को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को बनाने में बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1. बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास
4. छात्र/छात्रों की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।
6. छात्र/छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।
7. छात्र/छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण के लिए टेस्ट आइटम का निर्माण।
8. कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।

क्रियात्मक अनुसंधान:-

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च कार्य किये जाने की दृष्टि ने पाँच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन के सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदानों के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूढने में सफल हो सके।

क्रिया शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है :-

1. शिक्षक शोध हेतु सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. बहु कक्षा शिक्षण की स्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाय ?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे ?
4. कक्षा कक्ष की प्रक्रिया (क्लास रूम प्रोसेसे) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास ?
5. शिक्षण प्रशिक्षण की कक्षा में कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेताकों (इन्डीकेटर्स का विकास) ?
6. बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान ?
7. बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास ?
8. समुदाय को विद्यालय के करीब लाने हेतु प्रयास ?
9. शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अतः सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास ?
10. अध्यापकों द्वारा सक्रिय अधिगम पद्धति को प्रयोग में न लाना ?
11. धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियाँ खोजना ?
12. उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।
13. बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण
14. प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।
15. विद्यालय परिसर के दुरुपयोग की समस्या।
16. अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।
17. छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।
18. मध्यावकाश के पश्चात कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धी समस्या।
19. अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।
20. छात्रों की अनियमित उपस्थिति।
21. छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।

22. गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों का समझने में होन वाली कठिनाई का निवारण।
23. दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपरिस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान

शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली :

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासांगिक आवश्यकतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निर्धारण के सोपनों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (डी0आई0एस0ई0) का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय न्याय पंचायत ब्लाक संसाधन केन्द्र जनपद राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार करने और उनके अपभोग के अनेक अवसर आते हैं। इस प्रसंग में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूचना संकलन तथा विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली एक नवोदघाटित आयाम है।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जयेगा। जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक के आंकड़ों के विश्लेषण एवं उससे निष्कर्षों को निकालने सम्बन्धी पाँच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने क्षेत्रागत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

जब विभिन्न स्कूलों का जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा तब विभिन्न प्रकार की 60 रिपोर्ट जनरेट की जा सकी हैं। इन रिपोर्टों का विश्लेषण एवं व्यावस्था करके जो मददे उभरेगें उनको ध्यान में रखते हुए अगली योजना तैयार की जायेगी।

मूल्यांकन प्रणाली :-

छात्रों के मासिक, वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है उसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा-5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एवं कक्षा-8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी तथा प्रश्न पत्र निर्माण डायट में ही होगा। साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फी0डब्लेक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन की व्यावस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, द्वारा तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही अध्यापक का प्रशिक्षण (प्राथमिक स्तरीय) भी कराया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सतत् एसवव व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी करया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर सकें।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :-

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायगा जनपद विकास खंड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों को निगाजन तथा

किगयान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिक्रमियों की क्षमता का विकास का शोध, एवं मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आंकडों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूहों का सुदृढीकरण :-

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया जायेगा। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद् कालेजों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इनकी क्षमता सम्वर्धन हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से क्षमात विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण, स्कूल प्रबन्धन शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रति वर्ष पांच दिवसीय आयोजित की जायेगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) :-

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्ष शिक्षण में कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तक का विकास निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में किया जा रहा है इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का विकास भी किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग समन्वयी बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट पर आयोजित किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अश्विनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार / प्रोत्साहन की व्यवस्था:-

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में शिक्षकों ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों, न्याय पंचायत / ब्लॉक संसाधन केन्द्र स्तरीय अभिकर्मियों/ डायट संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारु संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त काग्रेस संस्कृति को स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता में विकास में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास खण्ड स्तर पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमशः 15,000.00 एवं 10,000.00 रुपये दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों इस धन का उपयोग विद्यालयों को समृद्ध करने में अपने निर्णयानुसार करेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने पठन पाठन के उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने के लिये प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चिन्हित कर प्रत्येक विकास खण्ड में एक एक अध्यापक को 5000.00 रुपये पुरस्कार दिया जायेगा। जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी०आर०सी० को एवं प्रत्येक विकास खण्ड के एक एन०पी०आर०सी० को 10,000.00 एवं 7,000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा। डायट/बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर

वर्ष 2003 –2004

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1.	विजनिंग कार्याशाला	4 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षको का प्रशिक्षण	8 दिन
3.	शिक्षा मित्र / आचार्य जी प्रशिक्षण	30 दिन
4.	शिक्षा मित्र / आचार्य पुत्र बौधात्मक प्रशिक्षण	15 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	3 दिन
6.	ई०सी०.सी०ई० केन्द्र के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	7 दिन
7.	बी०आर०सी०./ एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण	5 दिन
8.	ब्लाक संसाधन गुप का प्रशिक्षण	3 दिन
9.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	15 दिन
10.	अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	8 दिन

11.	नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	6 दिन
12.	ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	5 दिन
13.	विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	8 दिन
14.	गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	8 दिन
15.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला	2 दिन
16.	व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला	3 दिन
17.	समुदाय शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच अत सम्बन्ध विकसित करने हेतु कार्यशाला	5 दिन
18.	टी0एल0एम0 कार्यशाला (प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी)	3 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकास :-

डायट संकाय के सदस्यों को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षण आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

1. समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण ।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
3. लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण
4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण
5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों / टेस्ट प्रयोगों का प्रशिक्षण
6. क्रियात्मक मक शोध प्रशिक्षण ।

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपर विजन:

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शैक्षिक आकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक एवं समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक सेन्टर की भूमिका रही है । किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिकेजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक सेन्टर में परस्पर लिकेजेज बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदन अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को देगा तथा प्रतिवेदन का समाधान हर सम्भव ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा । ब्लाक संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेदनों का समाधान नहीं हो पायेगा उन्हे समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता सम्बर्धन तथा शिक्षको की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी०आर०सी० द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेंडा तैयार किया जायेगा। डायट द्वारा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जिसके दिशा निर्देशन में बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० समन्वयक कार्य करेंगे प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा । चूँकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इंटर कॉलजे में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षको को परिधि में लिये जाने का प्रस्ताव है। अतएव इन विद्यालय के शिक्षको का भी अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा ।

बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्वर्द्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। जिसमें इस बात पर विशेष बल होगा कि डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली की ओर अधिक सृद्ध तथा सक्षम बनाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्य परक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर पर प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधारित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर लिंकेज बनाये रखने के लिये वर्तमान में कार्यरत अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। अस्तु सृजित पदों को विपरीत अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान :

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों (शिक्षामित्रों सहित) के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षको द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री (टी०एल०एम०) निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिये प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षामित्रका रूपये 500 की दरे से प्रतिवर्ष टी०एल० एम० अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षको एवं अतिरिक्त शिक्षको को वर्ष 2002-2003 से यह अनुदान दिया जायेगा। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षको/ शिक्षामित्रों, नवीन विद्यालयों के शिक्षको / शिक्षामित्रो को वर्ष 2002-2003 से टी०एल०एम० अनुदान दिया जायेगा।

टी0एल0एम0 अनुदान का वर्षवार प्रावधान बजट में निम्नवत् कर लिया जायेगा ।

सारिणी संख्या

वर्ष	टी0एल0एम0 अनुदान हेतु शिक्षकों / शिक्षामित्रों की संख्या					
	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
	परि0	सहा0 प्राप्त	योग	परि0	सहा0 प्राप्त	योग
2002-2003	0	0	0	169	0	169
2003-2004	81	0	81	379	0	379
2004-2005	1611	0	1611	379	189	568
2005-2006	1611	0	1611	379	189	568
2006-2007	1611	0	1611	379	189	568

स्टाफ विवरण

क्र०स०	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	प्राचार्य	01	01	01
2.	उप प्राचार्य	01	01	—
3.	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	02	04
4.	प्रवक्ता	17	13	04
5.	सांख्यिकीकार	01	01	—
6.	तकनीकी सहायक	01	01	—
7.	कार्यानुभव शिक्षा	01	01	—
8.	कार्याभव अधीक्षक	01	—	—
9.	पुस्तकालयध्यक्ष	01	01	—
10.	आशुलिपिक	01	01	—
11.	कनिष्ठ लिपिक	09	09	—
12.	लैव सहायक	02	01	01
13.	लेखाकार	01	01	—
14.	चतुर्थ श्रेणी	05	05	—

डायट के दक्षता सम्वर्धन हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हस्तक्षेपों का विवरण जनपद गाजियाबाद के परस्पेक्टिव प्लान में सम्मिलित है।

अध्याय -10

परियोजना प्रबन्धन

सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा वर्ष 2001 से 2010 तक 6-11 का वर्ग के सभी बालक / बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त व उद्देश्यशय शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम व उनका प्रबन्धक 30 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा ।

प्रबंध तंत्र- लचीली प्रणाली

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की जायेगी । सर्व शिक्षा अभियान में प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन तथा वित्तीय निवेशों को आबध प्रवाह प्रदान करने के लिए 30 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा एक प्रबंध तंत्र तैयार किया गया है तो निम्नवत है ।

साधारण सभा और

कार्यकारिणी समिति

राज्य परियोजना कार्यालय

यू0 पी0 ई0 एफ0 ए0 पी0बी0

जिला शिक्षा परियोजना समिति

जिला परियोजना कार्यालय

ब्लाक शिक्षा समिति

ब्लाक संसाधन केन्द्र

ग्राम शिक्षा समिति

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र

विद्यालय

जिला शिक्षा परियोजना समिति

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया जायेगा । जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी तथा सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे ।

समिति का गठन निम्नवत है -

- | | | |
|--|-----------|-------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष | |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष | |
| 3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सचिव | |
| 4. प्राचार्य, डायट | सदस्य | |
| 5. वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शि0) | सदस्य | |
| 6. जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य | |
| 7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी | सदस्य | |
| 8. जिला श्रम अधिकारी | सदस्य | |
| 9. जिला कार्यक्रम अधिकारी | सदस्य | |
| 10. जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य | |
| 11. अधिशासी अभियंता | सदस्य | |
| 12. दो शिक्षा विद | | |
| 13. दो ब्लाक प्रमुख (वर्णमाला क्रम से)
एक वर्ष के लिए | सदस्य | |
| 14. दो शिक्षक (राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार से सम्मानित) | | सदस्य |
| 15. स्वैच्छिक संगठन | | |

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च निति नियामक समिति है। रणनितियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व जिला शिक्षा परियोजना समिति का है।

प्रशासनिक तंत्र जिला परियोजना कार्यालय

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्धन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावन्धन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद 30 प्रो सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | पदेन जिला परियोजना अधिकारी |
| 2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी
(ई0जी0एस0/ए0आई0ई0) | 1 प्रतिनियुक्ति पर |
| 3. समन्वयक | 4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर |
| 4. सलाहकार | 2 रूप 10,000 नियत वेतन प्रतिपद |
| 5. ई.एम.आई.एस.अधिकारी | 1 रूप 10000 नियत वेतन प्रतिपद |

6. कम्प्यूटर ऑपरेटर/सांख्यिकी सहायक 3 रू0 7000 नियत वेतन प्रतिपद
7. सहायक लेखाधिकारी 1 प्रतिनियुक्ति पर
8. लिपिक 1 नियत मानदेय के आधार पर
9. परिचारक 1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अंतर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिलापरियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्यों की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत स्तरी समिति :-

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लॉक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर सहित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है -

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | ब्लाक प्रमुख | अध्यक्ष |
| 2. | सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति
उप विद्यालय निरीक्षक | सदस्य -सचिव |
| 3. | विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान | सदस्य |
| 4. | विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक | सदस्य |

अधिकार एवं दायित्व :

इस समितिका मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याया पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना / जे0 जी0 एस0 आई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी । इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगें । सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगें । विकास खण्ड

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना ।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना ।

ई.जी. एस. तथा ए. आई. ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0 जी0 एस एवं ए0 आई0 ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमिति रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी । वे सर्व शिक्षा अभियान

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0 आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकरण एवं सुसज्जित है । यहाँ समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है। और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा। जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं

के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हे आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी । विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे । साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना ।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना ।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना ।
5. ब्लाकस्तर पर शैक्षिक ऑकडे एकत्रित कर संकलित करना ।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित करना तथा सूचना एकत्र करना ।
7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना ।
8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0ज0 के सभी बालक / बालिकाओं को निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना ।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना ।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित करना ।

सभी प्रकार की बैठको के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेगे ।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी०आर०सी० समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है । अतः प्रत्येक बी० आर० सी० को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ सृष्टीकरण करने की योजना है । जिसके लिए प्रत्येक बी० आर० सी० एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक / समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों को एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजना करना ।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन कराना ।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना ।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना ।

7. विकास खण्ड के अंतर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना ।
8. ब्लॉक में- विद्यालय सांख्यिकी का समय समय पर एक एकीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना ।

संगठनात्मक ढांचा - नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया । जिसमें निम्नलिखित सदस्य है।

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा ।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व:

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी -

- क. पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना ।
- ख. ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना ।
- ग. पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और पौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना ।
- घ. बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना ।
- ड. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जाये ।
- च. पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक व अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- छ. बेसिक शिक्षा सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाये ।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा । इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं

सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ साथ बरती ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को मइक्रेप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेद्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है । शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आगनबाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन / मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा । छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियंत्रण निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा ।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०)

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण 30 प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व:

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना ।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण करना ।

3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना ।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना ।
5. न्याय पंचायत स्तरीय बैठक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म परियोजना।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भंति रखी जायेगी । निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व लधु सिचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियंता उपलब्ध है। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा । वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रुपये 1000 प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रुपये 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रुपये 200 की दर अनुमन्य है प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय हानि दिया जायगा । यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा । तीन वर्ष बाद मानदेय की दर से संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा । अभियंताओं को मानदेय को धनराशि का भुगतान कार्य संतोष जनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा ।

एजुकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0 एस0)

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सृष्ट एवं क्रियाशील एम0 आई0 एस0

स्थापित किया जायेगा । बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0 आई0 एस0 डाटा केचर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चिकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी । इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, बैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा । इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई0 एम0 आई0 ए0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं बैकल्पिक / नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0 एम0 आई0 एस0 के संचालनार्थ एक ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0 एम0 आई 0 एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हूतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा । यह विद्यालय भसन में सम्मिलित माना जायेगा तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा । अभियंताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा ।

एजुकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई० एम० आई० एस०)

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ एवं क्रियाशील एम० आई० एस० स्थापित किया जायेगा । बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम. आई० एस०. डाटा केचर प्रणाली व प्राथमिक स्तर पर डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997 -98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आंकडे उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसर कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी । इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है । उससे शिक्षा गारंटी योजना, बैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडो का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा । इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई० एम० आई० एस० तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा ।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं बैकल्पिक नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई० एस० आई० एम० के संचालनार्थ एक ई० एम० आई० एस० अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स / सांख्यिकी सहायक रखे जायेगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्नप्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिलापरियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई० एम० आई० एस० के विभिन्न महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके । वस्तुतः जिला परियोजना

कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा ।

ई० एम० आई० एस० अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई० एम० आई० एस० अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे -

1. विद्यालयों हेतु सांख्यिकी अपनों का मुद्रण व वितरण कराना ।
2. समय से फील्ड स्टाफ (बी० आर० सी०, समन्वयक, एन० पी० आर० सी०, समन्वयक प्रधानाध्यापको) का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।
3. माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना ।
4. भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो अभिलिखित करना ।
5. समयबद्ध रूप में दिसम्बर 2001 के अंत तक डाटा एंटी पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना ।
6. संकुलवार व विकासखण्ड जनपद की ई० एम० आई० एस० रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य , जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना ।
7. सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना ।

8. माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत / प्रेषित करना !

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीकी आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा ।

प्रशिक्षण :

विद्यालय सांख्यिकी संबंधी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक सकुल प्रभारी, बी0 आर0 सी समन्वयक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0 एस0 आई0 एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने संकलन विश्लेषणा आदि की जानकारी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडो के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकडो की शुद्धता की जांच हो सके ।

1. ई0 एम0 आई0 एस का प्रशिक्षण - जिला स्तर पर

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी सभी समन्वयक, स्टाफ कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगे ।

2. ई0 एम0 आई एस0 का प्रशिक्षण - ब्लाक स्तर पर

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0 आर0 सी0 समन्वयक / सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें ।

3. ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण - न्याय पंचायत स्तर पर

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एस० पी० आर० सी० समन्वयक / सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई० एम० आई० एस० का प्रशिक्षण - प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट स्तर पर एस० पी० ओ० / सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी० पी० ओ० एवं बी० आर० सी० के कम्प्यूटर ऑपरेटर भाग लेंगे प्रथम तीन दिन ई० एम० आई० एस० प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन के प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकीकरण तथा शुद्धता की जांच :-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीचा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रति वर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा। एवं कम्प्यूटर पर डाटा एंट्री के पश्चात् ई० एम० आई० एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रति वर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा। ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग :-

ई० एम० आई० एस० आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स जैसे - जी० ई० आर०, एन० ई० आर०, ड्रॉप आउट पर, रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्षा अनुपात, एकल अण्थापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त

होंगे । इन इंडीकोटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टमस में किया जायेगा ताकि बार बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय को बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का संशोधन किया जा सके । डायस के अंतर्गत ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययन तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकडों के आधार पर नहीं हो पाता है अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0 एस0 आई0 एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदनुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश / संशोधन अभीष्ट होगा । ई0 एम0 आई0 एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा ।

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान ।
2. शिक्षा गारंटी कन्ड्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण ।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं की आवश्यकता की पहचान ।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण ।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान ।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण ।
7. निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन ।

8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग की आंकलन का निर्धारण ।
9. शिक्षकों का विवरण ।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर ।
11. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।

ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय / क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रम के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगी ।

कोहोर्ट स्टडी :

छात्र छात्राओं में वृद्धि की प्रति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप - आउट पर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहोर्ट स्टडी कायी जायेगी । स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी । जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा किया जायेगा । यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक पृथक से की जायेगी । एक स्टडी की अनुमानित लागत रूपये 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इम्फोरमेशन सिस्टम :

एम0 आई0 एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है। उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्ग एल0 के0 सी0 आई0 के अंतर्गत

कम्प्यूटराइज्ड विक्तीष् प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम. आई. एस.0 प्रयोग में लाया जायेगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है । जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उप0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत सुदृढ किया गया है । सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ किया जायेगा परियोजना के अंतर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर / संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना ।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिव्य कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्य के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना ।
3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना ।
4. जिले स्तर की शिक्षाकी समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों / निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके ।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तमा मूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना ।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का निर्देान एवं नियंत्रण करना ।
7. जिले स्तर पर अन्य विभाओं एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना ।
8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
9. न्यूनतम अधिकतम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना ।
10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना ।
11. शैक्षिक आंकडों - ई0 एम0 आई0 ए0 के माध्यम से संकलित का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना ।
12. शिक्षको, समन्वयकों ई0 सी0 सी0 आई0 तथा बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना ।

भेधि का हस्तांतरण (फलो ऑफ फण्ड):

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरांत जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये


अवमुक्त की जायेगी । प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु पनराशि जिला शिक्षा एवं प्राशिक्षण संस्थान द्वारा बी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी० को उपलब्ध करायी जायेगी । निर्माण, बैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाजैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं अध्यापकों आदि के सीधे खातो के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सुयंक्त रूपसे परिचालित किया जयेगा । सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्याति है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागध्याक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है । अतः रूपये 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक हो इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा सुयंक्त रूप से संचालित होगा ब्लाक संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो पर भी सुयंक्त खाता खुला है । जिसका परिचालन उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट है निर्धारित है । परचेज एवं प्रोक्योरमेट के नियम भी इसी सन्दर्भिका में निर्धारित किये गये है, जो परियोजना में भी अपाये जायेगें तथापित सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी । समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को एवं शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणानी में प्रथम वर्ष से ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय समय पर

रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगे परियोजना कार्यक्रमों से अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा । सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी ।

फण्ड फलो डॉयग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय



सम्प्रेक्षण व्यवस्था :-

उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखों का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डेपेन्डेन्ट, आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा । यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरंत बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफैल्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा

परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा । राज्य सरकार / भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा ।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था रहेगी ।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी० आर० सी० समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठके आयोजित की जायेगी जिसमे योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चार्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी० आर० सी० समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा । राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा । तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे । साथ ही समय समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कर्मियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा । प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराइज्ड पी० एम० आई एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसकी विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन व

अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक ई एस0 आई0 एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डेकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे ।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों प्राप्त विभिन्न इण्डेकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे ।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमीकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> • District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ट विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताएँ हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	<p>भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत-प्रतिशत आच्छादन हेतु।</p> <p>➤ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है।</p> <p>अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।</p>
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	<ol style="list-style-type: none"> विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्त

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल-कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी.एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैच्छिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत-प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

Annual Work Plan and Budget -2003-04
GAUTAMBUDHNAGAR

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2003-2004	
			Phy	Fin
A	ACCESS			
A1	New Primary School Unserved	259	42	10878
A2	New Upper Primary Schools	451	57	15960
A3	Salary of PS Asst Teacher(2002-03)	9	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	39	4680
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2 25	42	567
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	42	2268
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	171	10260
A8	Teaching Learning Equipment		0	
A8 1	PS	10	42	420
A8 2	UPS	50	57	2850
A9	T LE UPS not covered OBB	50	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total		0	47883
	Interventions for out of school children		0	
A11	Alternative Schools		0	
A11 1	EGS (for 25 child per center))	0 845	0	0
A11 2	Honraria	1	0	0
A11 3	Training	1 5	0	0
A11 4	Contingency	0 468	0	0
A11 5	Equipment	1 76	0	0
A11 6	Adm & Management Cost	6 056	0	0
A12	AIE Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0 845	0	0
A13	AIE Upper Primary	1 2	16	576
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1 5	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	0 845	43	1453 4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15 35	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	50092.40
R	RETENTION			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	2	766
R3	Additional Classrooms		0	
R3 1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0
R3 2	Adcl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910
R4 1	Toilets Upper Primary	10	5	50
R4 2	Toilets Primary	10	0	0
R5 1	Drinking Water Primary	15	0	0
R5 2	Drinking Water Upper Primary	15	0	0
R6 1	Repair & Maintenance of School Primary	5	427	2135
R6 2	Repair & Maintenance of School UPS	5	41	205
R7 1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
R7 2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2 25	0	0
R7 3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
R7 4	Salary of Fresh SM(PS)	2 25	0	0
R7 5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2 25	0	0
R8 1	School Improvement grant(p.a /school) Ps	2	20	40
R8 2	School Improvement grant(p.a /school) UPS	2	134	268
R12	Promoting Girls Education		134	0
R12 1	Summer Camps	4 5	0	0
R12 2	MCDA	75	0	0
R12 3	Meena Manch	4	0	0
R12 4	SLJPW for Girls Per School	25	0	0
R12 5	Trg /Refresher courses for Gender Coordinators	0 07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
R13 1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
R13 2	TL M(per center)	5	0	0
R13 3	Additional Hcn. Of Instructor + Worker(per mth)	0 375	0	0
R13 4	Contingency(per center)	1 5	0	0
R13 5	Training		0	
R13 5a	Induction & Recurring	0 07	0	0
R16	Community Mobilization		0	
R16 1	MTA/PTA training for 2 days per person	0 07	0	0
R16 2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0
R16 3	Trg of VEC/Community Leaders/person/day	0 48	0	0
R17	Award to Best VEC (2 no)	25	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66 7	0	0
R20	Computer Edu. For UPS(equip)/UPS-Innovative Prog.	60	10	5000
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2 5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	9374
Q	QUALITY IMPROVEMENT			
Q1	Training Programmes		0	
Q1 1	Induction Training for Shiksha Mitra(perseon for 30 days)	2 1	7	14 7
Q1 2	Induction Trg For Asst. Teacher(person for 30 days)	0 07	0	0
Q1 3	In-service Teachers Trg (person for 20 days) HT + AT for PS	1 4	58	81 2
Q1 4	In-service Teachers Trg (person for 20 days) UPS	1 05	262	275 1
Q1 5	In-service Teachers Shiksha Mitra(person for 20 days)	0 07	0	0
Q1 6	Induction Training of EGS & AIE workers(person for 30 days)	0 07	0	0
Q1 7	Trg Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(person for 10 days)	0 07	0	0
Q1 8	Trg Of NPRC coordinators(person for 10 days)	0 07	0	0
Q1 9	Trg Of resource persons at DIET(person for 20 days)	0 07	0	0
Q1 10	ABSA/SDI Trg (person for 5 days)	0 07	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1 2	691	829 2
Q2 1	IED-Medical Assesment	2 3	0	0
Q2 2	Printing of Modules	9	0	0
Q2 3	Funds for NGOs	300	0	0
Q2 4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0
Q2 5	Support Services	5	0	0
Q2 6	Training of Master Trainers	1 31	0	0
Q2 7	Training on IED to teachers(17 2 th /batch of 32 teachers	17 2	0	0

Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1 31x2x2	1.31	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	160	80
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	982	491
Q5.3	Free Text book PS	0.05	334	16.7
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	13498	2024.7
Q5.5	School Library	0.15	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist of AS Trg. Modules	0.05	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
Q5.9	Schools Awards	25	0	0
	QUALITY	Sub Total	0	3812.6
C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	OJET Capacity Building		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vehicle	80	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	
C2.1	Civil Construction	800	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @ 10 for 12 mths	5.5	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
C2.5	Equipment/Furniture/Fixture	10	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	4	24
C2.7	Maintenance of Equipment	2	0	0
C2.8	Maintenance of Building	10	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	4	20
C2.10	Consumables	5.0	0	0
C2.11	Contingency	12.5	4	50
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
C2.13	Contingency - ABSA	5.0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	
C3.1	Construction	70	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
C3.3	Equipment/Furniture/Fixture	5	0	0
C3.4	Books for Library/Book Bank TLM	1	43	43
C3.5	Contingency	2.5	43	107.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	43	103.2
C4	District Project Office/Management		0	
C4.1	Staffing		0	
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0
C4.3	Salary of AE	15	1	180
C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	1	10
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	5	50
C4.9	Consumables	40	1	40
C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
C4.12	Pay to JE	10	4	480
C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.5	0	0
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	54	75.6
C4.16	Contingency	100	1	100
C4.17	AWP & B	10	1	10
	Total		0	1493.3
C5	MIS		0	
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0
C5.8	Printing & Distribution of Data Formats	40	0	0
C5.9	Maint. of Equip. & Consumables	20	0	0
C5.10	Computer Consumable	25	0	0
C5.11	Training Of Computer Staff	10	0	0
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0
	CAPACITY	Sub Total	0	1737.3
	GRAND TOTAL		0	65016.30

